Cops, village Pradhan convicted for rape

From Our Correspondent

MAINPURI, Jan 27–Mr Swarup Lal, Vth Additional District and Sessions Judge, Mainpuri, convicted Head Constable of UP Police, Surendra Singh, two cops Asghar Khan and Ramesh Chandra and Village Pradhan of village Biltigarh Chandra Kishore and sentenced each of them to undergo rigorous imprisonment for ten years and also inflicted fine of Rs 1,000 on each of the accused while accused Ramesh Chandra s/o PatiRam was awarded R I for seven years and a fine of Rs 1,000 holding them guilty for rape committed on Mrs Guddi of village Biltigarh.

The convicted accused were taken into custody by the court and sent to jail.

In short the prosecution story stated that in the night of 12/13 May 1985 when the complainant Mrs Guddi was sleeping on her Thar in her village Biltigarh alongwith her aged mother, the accused persons armed with fire arms raided her Thar at about 10 p.m. and took her away on gun point. All the rescue efforts of her mother failed since she was forcibly stopped to remain on the Thar. The Head Constable Surender Singh raped Mrs Guddi to satisfy his lust while all others abetted the act.

Mrs Guddi moved an application to the Circle Officer (Police) Shikohabad circle who directed the police to register a case which accordingly was registered as crime No 67 of 1985 at police station Khairgarh.

After ivestigation a charge sheet was submitted in the court which created jurisdiction to the court to proce4ed with the case.

The learned judge after taking all the evidences adduced in court by the parties and hearing the parties at length found the case proved against the accused persons hence convicted them on the charges of rape.

The complainants' private counsel Mr Anil Bharadwaj vehemently argued before the court of the learned judge that the prosecution had succeeded in proving the case beyond any reasonable doubt. The custodians of law had violated the law to satisfy their lust with an helpless lady hence were not entitled for any leniency, added Mr Bharadwaj. He demanded the court to inflict an examplary punishment to meet the ends of the justice. The judge accepted the arguments advanced at length by Mr Bharadwaj and convicted the accused persons.

AMAR UJALA, AGRA - 30-1-88

प्राणघातक हमले के आरोप में दो भाइयों सहित तीन दोष मुक्त

मैनपुरी, 29 जनवरी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री मोहनलाल सोनकर ने प्राणघातक हमले के [illegible] में आरोपित अभियुक्त जनकसिंह व [illegible]सिंह पुत्र प्यारेलाल एवं अभियुक्त महावीरसिंह पुत्र पुत्तनसिंह निवासी ग्राम नगला गंगे थाना जसराना को आरोप से दोष मुक्त घोषित कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने गत 26/27 मार्च 86 की रात्रि को ग्रामवासी बेतालसिंह पुत्र लटूरीसिंह के आवास पर अपने एक अन्य साथी रामखिलाड़ी जो कि सेना में सेवारत है के साथ हमला बोल दिया। दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने के पश्चात् अभियुक्तों की ओर से की गयी फायरिंग से नेत्रपालसिंह पुत्र नत्थूसिंह व गृहस्वामी का पुत्र योगेश घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट गृहस्वामी बेतालसिंह द्वारा थाना जसराना में पंजीकृत करायी गयी।

विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त रामखिलाड़ी पर अलग से मुकद्दमा चलाया जाएगा। बचावपक्ष की ओर से उक्त केस की पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

साइकिल दौड़ प्रतियोगिता के परिणाम

मैनपुरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय कलक्ट्रेट से एक 25 किमी. साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का शुभारम्भ अपर जिलाधिकारी (परियोजना) श्री आर.एस. साहू ने झण्डी दिखाकर किया।

उक्त प्रतियोगिता अपने आरम्भिक स्थल पर समाप्त हुई। प्रतियोगिता के पश्चात् श्री साहू ने दौड़ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी क्रमशः राजेश कुमार, मंसुख लाल एवं संतोष कुमार को एक-एक कम्बल पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। प्रतियोगी, सुनील कुमार पाठक, मनोज कुमार एवं जयराम को एक-एक शाल सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रदान की गयी।

अमर उजाला आगरा
26-12-88

③

हत्याभियोग में सात दोषमुक्त

(S)

मैनपुरी, 25 दिसम्बर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री लेखासिंह ने हत्या के आरोप में आरोपित अभियुक्त शिशुपाल सिंह पुत्र प्रयागसिंह निवासी ग्राम चनगवां थाना बरनाहल, माखन, रनसिंह, किशनवीरसिंह, चांदामसिंह व एक अन्य निवासी नगला जीता थाना करहल व अरविंदसिंह पुत्र सुजानसिंह निवासी भदान थाना नगला [illegible] जिला मैनपुरी को आरोप से दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों पर गत 19 मार्च सन् 1986 को सायंकाल 4 बजे के लगभग ग्राम चनगवां थाना बरनाहल निवासी भानुप्रताप सिंह को आग से जलाकर मारने का आरोप है।

उक्त घटना की नामजद रिपोर्ट मृतक के पुत्र रिपुदमन सिंह द्वारा थाना बरनाहल में पंजीकृत करायी गयी थी। विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाण के अभाव में अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया बचाव पक्ष की ओर से उक्त केस की पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

अमर उजाला, आगरा - 9-3-89

④

मुठभेड़ के आरोप में दोषमुक्त

मैनपुरी, 8 मार्च। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री किशनसिंह ने पुलिस मुठभेड़ के आरोप में आरोपित अभियुक्त सतेन्द्र यादव निवासी नगला नया थाना औंछा को आरोप से दोष मुक्त किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त [illegible] को थाना औंछा पुलिस ने एक मुठभेड़ के पश्चात अवैध [illegible] सहित [illegible] बनाकर जेल भेजा था। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

अमर उजाला आगरा - 10.9.89

सहित पांच को आजन्म कारावास

(5)

मैनपुरी, ९ सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) श्री किशनसिंह ने दोहरे हत्याकांड के आरोप में आरोपित अभियुक्त कोमल सिंह, निहाल सिंह, मूलेसिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र गया लोकपाल सिंह व नन्हे अली पुत्र महताब निवासी ग्राम सोनई थाना एका को आजन्म कारावास के दण्ड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष १९८९ में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में ग्रामसभा सोनई से प्रधान पद हेतु ग्रामवासी महीपाल सिंह व पातीराम खड़े हुए थे। उक्त चुनाव में पातीराम २ वोट से चुनाव हार गये थे जिसकी याचिका न्यायालय में विचाराधीन है। चुनाव में नामजद अभियुक्तों ने पातीराम को अपना समर्थन किया था तथा अभियुक्तों के चचेरे भाई श्रीपालसिंह ने महीपाल सिंह को समर्थन दिया था। इसी रंजिश को लेकर गत २९ मार्च ८७ को नामजद अभियुक्तों ने अपने एक अन्य भाई छोटेसिंह के साथ हथियारों से सुसज्जित होकर ग्राम प्रधान महीपाल सिंह के पुत्र करुआ उर्फ लाल बिहारी को शौच जाते समय खेत में पकड़ लिया तथा घसीटते हुए अपने घर में ले गये। उसके पश्चात अभियुक्तों ने श्रीपाल सिंह के आवास पर धावा बोला। अभियुक्तों को आता देख श्रीपाल सिंह की पत्नी रामवती ने दरवाजा बन्द करना चाहा तो अभियुक्तों ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी।

अभियुक्तों द्वारा की गई फायरिंग से ग्रामवासी मलिखान सिंह व श्याम सिंह घायल हो गये। उक्त घटना के पश्चात अभियुक्त प्रधान के पुत्र करुआ उर्फ लाल बिहारी को छत पर चढ़ा लाये जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात अभियुक्तों ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के छर्रे मार कर चिल्लाना आरम्भ कर दिया कि उनके यहां डकैती पड़ रही है एक बदमाश मार लिया है।

उक्त घटना की रिपोर्ट उसी दिन ग्राम प्रधान महीपाल सिंह द्वारा थाना एका में भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७, १४८, १४९, ३४२, ३०७ एवं ३०२ के अन्तर्गत पंजीकृत कराई गई। विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी ने छोटे सिंह सहित सभी नामजद अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया। सत्र परीक्षण के दौरान एक अभियुक्त छोटेसिंह की मृत्यु हो गई।

विद्वान न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्य एव प्रमाणों के आधार पर सभी अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाया तथा उन्हें धारा १४८ में ३ वर्ष का कठोर कारावास, धारा ३०७/१४९ में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा ३०२/१४९ में आजीवन कारावास का दण्ड प्रदान किया।

सरकार की ओर से उक्त केस की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री कनौजी लाल वर्मा व अनिल भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गई।

अमर उजाला आगरा।
18-12-89

मैनपुरी

थानेदार की लूट के अभियुक्त निर्दोष बरी

(6)

मैनपुरी, 17 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) श्री एस.एस. रौतेला ने थानेदार की लूट करने के आरोप में आरोपित अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र आनंदपालसिंह निवासी मौ. चौंतियाना थाना कोतवाली, रमेश पुत्र नत्थूसिंह निवासी ग्राम श्रृंगारपुर थाना कुरावली एवं योगेन्द्रपाल सिंह चौहान पुत्र पृथ्वीराजसिंह चौहान निवासी भांवत चौराहा मैनपुरी को दोष मुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 2 मार्च 80 को दिन के 2 बजे थाना कोतवाली के कार्यरत उपनिरीक्षक वेदपालसिंह से स्थानीय कमला टाकीज में नामजद युवकों ने 350 रुपया नकद व एक घड़ी छीन ली। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में पंजीकृत कराई गयी। विवेचना अधिकारी ने जांच में मामला झूठा पाया तथा अंतिम रिपोर्ट दे दी। बाद में वेदपालसिंह के प्रोटेस्ट पिटीशन पर अभियुक्तों को न्यायालय में तलब कर लिया गया।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोष मुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी श्री अनिल भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गई।

अमर उजाला आगरा - 10.9.89

सहित पांच को आजन्म कारावास

5

मैनपुरी, ९ सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) श्री किशनसिंह ने दोहरे हत्याकांड के आरोप में आरोपित अभियुक्त कोमल सिंह, निहाल सिंह, मूलीसिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र गया लोकपाल सिंह व नन्हे अली पुत्र महताब निवासी ग्राम सोनई थाना एका को आजन्म कारावास के दण्ड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष १९८९ में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में ग्रामसभा सोनई से प्रधान पद हेतु ग्रामवासी महीपाल सिंह व पातीराम खड़े हुए थे। उक्त चुनाव में पातीराम २ वोट से चुनाव हार गये थे जिसकी याचिका न्यायालय में विचाराधीन है। चुनाव में नामजद अभियुक्तों ने पातीराम को अपना समर्थन किया था तथा अभियुक्तों के चचेरे भाई श्रीपालसिंह ने महीपाल सिंह को समर्थन दिया था। इसी रंजिश को लेकर गत २९ मार्च ८७ को नामजद अभियुक्तों ने अपने एक अन्य भाई छोटेसिंह के साथ हथियारों से सुसज्जित होकर ग्राम प्रधान महीपाल सिंह के पुत्र करुआ उर्फ लाल बिहारी को शौच जाते समय खेत में पकड़ लिया तथा घसीटते हुए अपने घर में ले गये। उसके पश्चात अभियुक्तों ने श्रीपाल सिंह के आवास पर धावा बोला। अभियुक्तों को आता देख श्रीपाल सिंह की पत्नी रामलती ने दरवाजा बन्द करना चाहा तो अभियुक्तों ने उसको गोली मार कर हत्या कर दी।

अभियुक्तों द्वारा की गई फायरिंग से ग्रामवासी मलिखान सिंह व श्याम सिंह घायल हो गये। उक्त घटना के पश्चात अभियुक्त प्रधान के पुत्र करुआ उर्फ लाल बिहारी को छत पर चढ़ा लाये जहां उसको गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात अभियुक्तों ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के छर्रे मार कर चिल्लाना आरम्भ कर दिया कि उनके यहां डकैती पड़ रही है एक बदमाश मार लिया है।

उक्त घटना की रिपोर्ट उसी दिन ग्राम प्रधान महीपाल सिंह द्वारा थाना एका में भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७, १४८, १४९, ३४२, ३०७ एवं ३०२ के अन्तर्गत पंजीकृत कराई गई। विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी ने छोटे सिंह सहित सभी नामजद अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया। सत्र परीक्षण के दौरान एक अभियुक्त छोटेसिंह की मृत्यु हो गई।

विद्वान न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्य एव प्रमाणों के आधार पर सभी अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाया तथा उन्हे धारा १४८ में ३ वर्ष का कठोर कारावास, धारा ३०७/१४९ में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा ३०२/१४९ में आजीवन कारावास का दण्ड प्रदान किया।

सरकार की ओर से उक्त केस की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री कनौजी लाल वर्मा व अनिल भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गई।

अमर उजाला आगरा।
18-12-89

मैनपुरी

थानेदार की लूट के अभियुक्त निर्दोष करार

6

मैनपुरी, 17 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) श्री एस.एम. [illegible] ने थानेदार की लूट करने के आरोप में आरोपित अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र आनन्दपालसिंह निवासी मो. चौबियाना थाना कोतवाली, रमेश पुत्र नत्थूसिंह निवासी ग्राम श्रृंगारपुर थाना कुरावली एवं योगेन्द्रपाल सिंह चौहान पुत्र पृथ्वीराजसिंह चौहान निवासी भांवत चौराहा मैनपुरी को [illegible] दोष मुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 2 मार्च 80 को दिन के 2 बजे थाना कोतवाली के कार्यरत उपनिरीक्षक वेदपालसिंह से स्थानीय कमला टाकीज में नामजद युवकों ने 350 रुपया नकद व एक घड़ी छीन ली। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में पंजीकृत कराई गयी। विवेचना अधिकारी ने जांच में मामला झूठा पाया तथा अंतिम रिपोर्ट दे दी। [illegible] वेदपालसिंह के प्रोटेस्ट पिटीशन पर अभियुक्तों को न्यायालय में तलब कर लिया गया।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोष मुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से [illegible] अनिल भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गई।

अमर उजाला, आगरा - 26-1-90

हत्याभियोग में दो दोषमुक्त

मैनपुरी, 25 जनवरी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री धनीराम ने हत्याभियोग में आरोपित अभियुक्त छेदालाल पुत्र दयाल व कौशलेन्द्र पुत्र मुलायमसिंह निवासी ग्राम कुडीना थाना घिरोर को आरोप से दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों पर गत 9/10 अगस्त 87 को सायं 3 बजे के लगभग ग्रामवासी रमेश उर्फ पेंटला पुत्र जावान की ग्राम के एक खेत में हत्या करने का आरोप है। हत्या की पृष्ठभूमि में पुरानी रंजिश बतायी गयी। पहले घटना की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अंकित करायी गयी बाद में पुलिस ने विवेचना के दौरान उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से उक्त केस की पैरवी श्री अनिल भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गयी।

मारपीट की वारदातें: थाना कोतवाली व कुरावली में तीन स्थानों पर मारपीट व प्राण घातक हमले की घटनायें घटित हुईं जिनकी रिपोर्ट सम्बन्धित थानों में अंकित करायी गयी है।

प्रथम घटना थाना कुरावली के ग्राम राजलपुर में घटित हुई जहां ग्रामवासी सोरनसिंह पुत्र जोरावरसिंह ने थाना कुरावली में ग्रामवासी बालिस्टर सिंह, कनौजीलाल एवं रामखिलाड़ी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर प्राणघातक हमले का आरोप लगाया है।

दूसरी घटना भी थाना कुरावली क्षेत्र में घटित हुई जहां ग्रामवासी रामचरन पुत्र सूरजपाल ने थाना कुरावली में एक अभियोग पंजीकृत कराकर ग्रामवासी शिशुपाल पुत्र छक्कू पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है।

तीसरी घटना थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला अग्रवाल में घटित हुई जहां मोहल्लावासिनी श्रीमती गायत्री पत्नी नत्थूसिंह ने थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराकर रामऔतार, विनोद कुमार, करनसिंह, अमरसिंह व होतीलाल निवासी ग्राम द्वारिकापुर थाना कुर्रा पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है।

अमर उजाला
24-7-90

डकैती की योजना बनाने के आरोप में चार दोषमुक्त

मैनपुरी, 23 जुलाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री धनीराम ने डकैती की योजना बनाने एवं अवैध शस्त्र रखने के आरोप में आरोपित अभियुक्त सुरेशचन्द्र पुत्र रामकिशन, बटेश्वरी पुत्र सुखलाल, ज्ञानसिंह पुत्र अमृतलाल व रामदीन पुत्र अपरबल सिंह निवासी ग्राम टोडरपुर थाना सिरसागंज जिला फीरोजाबाद को पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिरसागंज पुलिस ने उपरोक्त अभियुक्तों को गत 4/5 सितम्बर 85 की रात्रि को थानान्तर्गत एक स्थान पर छापा मारकर डकैती की योजना बनाते समय अवैध शस्त्रों सहित बन्दी बनाया था। बचाव पक्ष की ओर से उक्त केस की पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गयी।

अमर उजाला आगरा - 25-8-90

चालक की हत्याकर-वाहन लूटने के आरोप में दोषमुक्त घोषित

मैनपुरी, 24 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) श्री एस.एस. वैद्य ने हत्याकर वाहन लूटने के आरोप में आरोपित अभियुक्त शिवप्रताप सिंह पुत्र विजय बहादुरसिंह निवासी ग्राम बुढौली थाना किशनी को पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त शिवप्रताप सिंह पर अपने अन्य साथियों के साथ गत 21 फरवरी 88 की रात्रि को बेवर किशनी मार्ग स्थित ठठौंस पुल के निकट यू.एच.आई. 1356 ट्रक को लूटने के उद्देश्य से रुकवाने का प्रयास करना तथा ट्रक को रुकते न देख गोली दागकर चालक सुरेन्द्रसिंह जाट पुत्र कदमसिंह की गोली मारकर हत्या कर देने तथा ट्रक में सवार सभी व्यापारियों को लूट लेने का आरोप था। उक्त घटना की रिपोर्ट बी.आर. शर्मा ट्रांसपोर्ट कम्पनी, बेवर के मुनीम महेश चन्द्र पुत्र रामवीर द्वारा थाना बेवर में पंजीकृत करायी गयी थी।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी श्री अनिल भारद्वाज एडवोकेट ने की।

अमर उजाला, आगरा १४ जनवरी सन् १९९०

प्राण घातक हमले में सभी दोषमुक्त

मैनपुरी, 13 जनवरी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री किशनसिंह ने प्राणघातक हमले के आरोप में आरोपित अभियुक्त रतनसिंह, अनंगसिंह, विजयसिंह, रामजीलाल पुत्रगण कनौजीलाल, जवाहरलाल पुत्र रतनसिंह व कनौजीलाल पुत्र हरपालसिंह निवासी ग्राम रौरा थाना दन्नाहार को आरोप से दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों पर गत 30 अगस्त 85 को सायं सात बजे के लगभग ग्रामवासी दरबारीसिंह पुत्र पहूनीलाल पर प्राणघातक हमला करने का आरोप था। विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी श्री अनिल भारद्वाज एडवोकेट द्वारा की गयी।

अमर उजाला - आगरा
01-9-90

अपहरण के आरोप से अभियुक्त दोष मुक्त

मैनपुरी, ३१ अगस्त। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) श्री धनीराम ने ८ वर्षीय बालक के अपहरण के आरोप में आरोपित अभियुक्त नाथूराम पुत्र रामप्रसाद निवासी चितावली, थाना शिकोहाबाद, सीताराम पुत्र रामनाथ निवासी जटेला थाना सिरसागंज, मानसिंह पुत्र महीपतिसिंह निवासी ग्राम दोहरा, थाना बेवर, अहलकार पुत्र कन्हईलाल निवासी भीकेपुर थाना कुरावली, को अपहरण के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों पर गत २१ दिसम्बर, ८५ को नवसृजित जनपद फीरोजाबाद के थाना सिरसागंज के ग्राम मितावली निवासी नाथूराम के ८ वर्षीय पुत्र राजेशकुमार का फिरौती के उद्देश्य से अपहरण करने का आरोप था।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अनिल भारद्वाज एडवोकेट ने की।

अमर उजाला, आगरा, 26-10-90 (12)

हत्याभियोग में दोषमुक्त घोषित

मैनपुरी, 25 अक्तूबर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री धनीराम ने हत्याभियोग में आरोपित अभियुक्त, राम नरेश पुत्र जनकसिंह, वीरेन्द्र सिंह पुत्र जाहरसिंह, महावीर पुत्र जिमीपाल व रामेश्वर पुत्र आशाराम निवासीगण ग्राम बकाईपुर थाना शिकोहाबाद जिला फीरोजाबाद को आरोप से दोष मुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त रामनरेश के पिता जनकसिंह की हत्या कर दी गयी थी। जिसमें ग्राम के अजमेरसिंह अभियुक्त थे। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से रामनरेश ने गत 8 नवम्बर 86 को अपने अन्य नामजद साथियों के साथ मिलकर अजमेरसिंह की गोली एवं कुल्हाड़ी आदि से ग्राम के निकट एक खेत में हत्या कर दी तथा शव को उठा ले गये। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र जितेन्द्र सिंह द्वारा थाना शिकोहाबाद में पंजीकृत की गयी।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोष मुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से केस की पैरवी श्री अनिलकुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

आई.टी.आई. में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त

कासगंज। आई.टी.आई. पुरुष शाखा कासगंज में हिन्दी टंकण व वेल्डर व्यवसाय शिक्षा हेतु स्थान रिक्त हैं। अभ्यर्थी की योग्यता क्रमशः इंटर साहित्यिक हिन्दी व जू.हाईस्कूल है। इच्छुक विद्यार्थी 30 अक्तूबर तक आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं। 31 अक्तूबर को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। उक्त सूचना प्रधानाचार्य श्री नवाबसिंह ने अपनी विज्ञप्ति में दी है।

दैनिक आज, आगरा - 5-11-90

लूट के आरोपी दोष मुक्त

मैनपुरी, ३ नवंबर लूट का आरोप सिद्ध न हो पाने पर विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) श्री सूरज सिंह रैद्रा ने आरोपियों को दोषमुक्त घोषित किया है।

पंजीकृत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नगला हवेली मौजा नरायनपुर थाना कुरावली निवासी फूलसिंह का लड़का महेश २२ अप्रैल ८८ को ग्राम नगला दखली पीता (दावत) खाने गया था। वहां से दावत खाकर करीब आठ बजे शाम साईकिल से वापस अपने घर आ रहा था। उसके साथ ही दावत खाने गये साहब सिंह, अमृत सिंह, शोभा राम भी वापस आ रहे थे। जैसे ही महेश ग्राम हवेली से सड़क के किनारे आया वैसे ही ग्राम वासी बलबीर सिंह, रामऔतार, वीर पाल सिंह, लालाराम, अमर दयाल ने घेर लिया और महेश के ऊपर बन्दूक रख दी। वीर पाल ने कड़ा शोधा कर दिया और महेश की ईस्टर्न स्टार साइकिल पुरानी तथा जेब से ३०० रुपये निकाल लिये। साथ आ रहे लोगों द्वारा बोलने पर इन लोगों ने फायर कर दिया।

घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर अंकित करायी गयी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उस दिन रिपोर्ट इसलिये नहीं लिखाई थी कि मुल्जिमान रास्ता घेरे रहे थे तथा भय के कारण उनका पीछा नहीं किया था।

पत्रावली पर मौजूद प्रमाणों एवं साक्ष्य को पर्याप्त न पाकर तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस से सन्तुष्ट होकर न्यायाधीश ने उक्त आरोप को सही नहीं पाया और आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

बचाव पक्ष की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की थी।

अमर उजाला - आगरा, 20-1-91

विधायक सहित हत्या के प्रयास के आरोपी दोषमुक्त करार दिये गये

मैनपुरी, १९ जनवरी। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आज हत्या के प्रयास के आरोपी दो सगे भाईयों वर्तमान सपा विधायक उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा, भूतपूर्व भाजपा विधायक शिवराज सिंह चौहान पी.टी.आई. सहित चार लोगों को दोष मुक्त घोषित कर दिया।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार २६ नवम्बर ८६ को थाना बेवर पुलिस ने वर्तमान सपा विधायक उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफ को इकनाली बंदूक, शिवराज सिंह को दुनाली तथा जवाहर सिंह को हैण्डग्रेनेड तथा तमंचे सहित बन्दी बनाया था। पुलिस के अनुसार शिवराज सिंह पी.टी.आई. मास्टर श्री चन्द्र वर्मा गुड्डू उर्फ दिनेश मौके से भाग गये थे। पुलिस का आरोप था कि इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोला था।

न्यायालय में परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष न तो हैण्डग्रेनेड और न ही दुनाली बंदूक ही पेश कर सका। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पुलिस के खिलाफ भी प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा (विधायक), शिवराज सिंह पी.टी.आई. श्री चन्द्र मास्टर तथा दिनेश उर्फ गुड्डू को दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अनिलकुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की। पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा मौके पर पकड़ी गयी वस्तुओं को न्यायालय में पेश न कर पाना रहा।

अमर उजाला, आगरा 5-5-91

हत्या के आरोप से बरी

मैनपुरी, ३ मई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.एस. रैम ने एक शराब विक्रेता की हत्या के आरोप में अभियुक्त अनिल कुमार यादव पुत्र दयालसिंह यादव निवासी कस्बा घिरोर (मैनपुरी) को दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार १७ नवम्बर १९८९ को सायं ७.१५ बजे के लगभग कस्बा घिरोर स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन रामप्रकाश शराब की बिक्री कर रहा था कि उस समय अभियुक्त शराब लेने आया। सेल्समैन ने शराब के पैसे मांगे तो अभियुक्त ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया जो उसकी गरदन में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना की नामजद रिपोर्ट एक अन्य सेल्समैन प्रमोद कुमार ने थाना घिरोर में पंजीकृत करायी।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से उक्त केस की पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

अपहरण का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

मैनपुरी, ११ जुलाई। अपहरण के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री यू.एस. पागले ने दोषमुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष की पैरवी श्री अनिल कुमार भारद्वाज ने की थी।

पंजीकृत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खामिनी थाना जसराना निवासी श्री ओमप्रकाश की आठ वर्षीया पुत्री कु. ऊषा का अपहरण आशुतोष पुत्र प्रभासिंह निवासी रूधरू थाना शिकोहाबाद ने कर लिया था। ऊषा अपनी ननिहाल में ग्राम रुधरु में बाजीलाल के यहां रहती थी। घटना की रिपोर्ट थाना शिकोहाबाद में करायी गयी थी।

जांच अधिकारी ने जांच के दौरान घटना को सही पाया तथा आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया।

पत्रावली पर मौजूद प्रमाणों एवं साक्ष्यों को पर्याप्त न पाकर विद्वान न्यायाधीश ने अपहरण के आरोपी को दोषमुक्त घोषित कर दिया।

दैनिक आज, आगरा - 10-01-92

लूट और हत्या के आरोपी बाइज्जत बरी किये गये

मैनपुरी, ९ जनवरी। लूट तथा हत्या के आरोपियों को दोष सिद्ध न हो पाने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. के. शर्मा ने दोष मुक्त घोषित कर दिया है बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज उर्फ रौमी ने की।

घटनाक्रम के अनुसार २९ नवम्बर ८६ को ट्रक संख्या यू. टी. एम. ९४०४ कुसुमरा से धान लेकर बेबर से गाजियाबाद के लिए शाम करीब साढ़े पांच बजे चला था। ट्रक पर चालक छोटेलाल व वीरपाल तथा क्लीनर सरदार गये थे तीस नवम्बर को कस्बा नवीगंज निवासी ओमकार यादव ने आगरा से वापस आते समय दोनों ड्राइवरों की लाश घिरोर पैट्रोल पम्प के पास पड़ी देखी थी। क्लीनर तथा ट्रक वहां पर नहीं था ट्रक मालिक अमर सिंह गुप्ता ने घिरोर जाकर दोनों चालकों की लाश शिनाख्त कर घटना की रिपोर्ट राकेश तथा जय गोविन्द उर्फ बबलू के विरुद्ध थाना घिरोर में पंजीकृत करायी थी।

विवेचना अधिकारी ने जांच के दौरान घटना को सही पाया तथा आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद प्रमाणों तथा साक्ष्य को पर्याप्त न पाकर तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया।

दैनिक जागरण - 20-5-92.

आठ आरोपी दोष मुक्त

मैनपुरी, १९ मई (नि.प्र.)। विद्वान न्यायाधीश श्री धनीराम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने प्राणघातक हमले के आरोप में नामजद आठ व्यक्तियों को दोषमुक्त किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार विगत २८ मार्च ८६ को थाना शिकोहाबाद में मुन्नालाल पुत्र सेवाराम ने प्राणघातक हमले का अभियोग पंजीकृत कराते हुए लिखाया कि ग्रामवासी श्रीपाल पुत्र जीवाराम, अन्तराम, प्यारेलाल पुत्रगण श्री पाल, मुन्नालाल पुत्र मौजीराम, सुभाषचंद्र, मिजाजीलाल पुत्र जीवाराम, अन्तराम, प्यारेलाल पुत्रगण श्री पाल, मुन्नालाल पुत्र मौजीराम, सुभाषचंद, मिजाजीलाल पुत्र जीवाराम, महेन्द्र सिंह, भगवान सिंह, लीलाधर, फूल सिंह पुत्रगण रामलाल ने लाठी एवं तमंचों से प्रहार कर वादी मुन्नालाल पुत्र सेवाराम के भाई बदन सिंह भतीजी सावित्री व सरोज घायल हो गयी थी। उक्त घटना के बाद थाना शिकोहाबाद पुलिस ने श्रीपाल, मिजाजीलाल तथा अन्तराम को मौके से ही बंदी बनाया था।

उक्त मामले को विवेचक ने झूठा मानते हुए रंजिश का कारण बताया। विद्वान न्यायाधीश अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने केस डायरी पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सभी आठ नामजदों को प्राण घातक हमले से दोषमुक्त किया है। उक्त केस में बचाव पक्ष की तरफ से युवा अधिवक्ता अनिल भारद्वाज ने पैरवी की थी।

दैनिक जागरण 26-11-93

सैदपुर बधौली कांड के सभी अभियुक्त बरी

मैनपुरी, २५ नवंबर। (नि.प्र.) कोतवाली कुरावली के ग्राम सैदपुर बधौली में २५ दिसंबर ८८ को घटी हरिजन उत्पीड़न तथा महिला के साथ बलात्कार के दोषी नामजदों को विद्वान न्यायाधीश ए.एम.एम. तृतीय ने बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि उक्त घटना की रिपोर्ट डी.आई.जी.केआदेश पर पंजीकृत की गयी थी।

वादी पक्ष के अनुसार २५ दिसंबर की शाम ८-९ बजे लज्जाराम के पुत्र गेदालाल की पत्नी प्रकाशी के साथ ग्रामवासी रक्षपाल पुत्र पोहप सिंह ने बलात्कार कर लिया तथा दूसरे दिन सुबह अभिनंदन सिंह पुत्र रक्षपाल , होरीलाल पुत्र रामनंद, गुड्डू पुत्र राजपाल , राजपाल पुत्र पोहप सिंह , महेश पुत्र सोने लाल तथा मुनीम सिंह पुत्र सोनपाल जबरिया रेशामा देवी पुत्री रक्षपाल तथा प्रकाशी को पकड़ ले गये और मारा- पीटा तथा धमकी दी कि वह रिपोर्ट दर्ज न कराये अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। उक्त घटना के संबंध में २७ दिसंबर ८८ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा कोतवाली कुरावली में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी थी। वादी लज्जाराम ने उक्त आशय का एक प्रार्थना पत्र उपमहानिरीक्षक आगरा श्री सी.डी. कैन्थ को दिया कि उक्त आठ नामजद हम से जबरिया मारपीट करके बेगार कराते रहते हैं और उक्त घटना की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं होने दी। लज्जारम ने उक्त आशय की कई अन्य प्रतियां अन्य लोगों को जांच हेतु भेजी थी जिस पर उप महानिरीक्षक ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए कुरावली में रिपोर्ट दर्ज कर जांच के लिए निर्देशित किया जिस पर कुरावली पुलिस ने धारा १४७,३२३,३७० में मुकदमा दर्ज कर लिया।

विवेचना अधिकारी ने उक्त मामले की जांच रिपोर्ट न्यायालय में परीक्षण हेतु भेज दी।

विद्वान न्यायाधीश तृतीय ए.एम.एम. मंडला ने केस डायरी तथा अन्य अभिलेखों के आधार पर सभी सातों नामजदों को बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले के परीक्षण के समय रक्षपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी थी।

उक्त केस की पैरवी बचाव पक्ष की तरफ से अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

(१२) 'आज' (आगरा) २३ जनवरी १९९४

दरोगा, सिपाही को निलम्बित करने के आदेश

अपर जिला जज ने पुलिस महानिदेशक को लिखा

मैनपुरी, २२ जनवरी । अपर जिला जज वी.पी. गोविल ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ को निर्देशित किया है कि न्यायालय के आदेश का पालन न करने के आरोपी एक थानेदार तथा एक सिपाही को निलम्बित किया जाये ताकि उनके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारन्ट को क्रियान्वित किया जा सके । न्यायालय के आदेश की तामील के बाद भी उक्त दोनों पुलिस कर्मी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसे न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया तथा उक्त निर्देश डी.जी.पी. लखनऊ को दिया है ।

प्राप्त विवरण के अनुसार स्पेशल ट्रायल नम्बर ४७ सन् ९१ प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा है । इसमें अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार पूर्व विधायक शिवराज सिंह पी.पी.आई सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध उन्नीस दिसम्बर सन् सतासी को तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर विजय कुमार सिरोही ने अपराध संख्या २३९, २४०, २४१, २४२ सन् ८७ अन्तर्गत धारा तीन सौ सात आई.पी.सी. तथा धारा पच्चीस आयुध अधिनियम के तहत थाना बेवर में पंजीकृत कराया था । विवेचना के बाद आरोप सही पाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । न्यायालय ने साक्ष्य हेतु दरोगा विजय कुमार सिरोही तथा सिपाही धर्मवीर सिंह को तलब किया पर आदेश की तामील के बाद भी उक्त दोनों पुलिस कर्मी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए उनके अधिवक्ता अनिल कुमार भारद्वाज ने पुलिस कर्मियों के न्यायालय में गवाही हेतु न आने को गंभीरता से लेने का अनुरोध न्यायालय से किया । नियत तिथि पर पैरोकार ने भी न्यायालय में लिखित सूचना दी कि दोनों पुलिस कर्मियों पर तामील हो चुकी है । श्री गोविल ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को डी.ओ. लिखकर निर्देश दिया है कि थाना बकेवर इटावा में तैनात उपनिरीक्षक विजय कुमार सिरोही तथा कोतवाली मैनपुरी में तैनात सिपाही धर्मवीर सिंह को निलम्बित कर दिया जाये ताकि उनके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारन्टों को क्रियान्वित किया जा सके ।

DAINIK JAGRAN AGRA
6 JUNE 1994

मैनपुरी समाचार

हत्या का आरोपी सपा विधायक दोष मुक्त

मैनपुरी, ५ जून (नि.प्र.) । स्पेशल जज (डकैती) श्री किशन चन्द ने कस्बा बेवर में हुए दिन दहाड़े हत्या काण्ड के आरोपी सपा विधायक उपदेश सिंह तथा अन्य को पर्याप्त साक्ष्य व प्रमाणों के अभाव में दोष मुक्त किया ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार ११ जनवरी ८७ को कस्बा बेवर में फर्रुखाबाद रोड पर रामचन्द की दुकान के सामने अशोक दीक्षित, अवधेश कुमार आपस में खड़े बातचीत कर रहे थे कि तभी १२ बजे दिन हरे रंग की फियेट कार डी.एम.सी. ४३५४ आकर रुकी जिसमें से उतरे उपदेश सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सन्तोष सिंह आदि ने रंजिश को लेकर रिवाल्वर व कट्टों से गोली प्रहार करके हुकम सिंह को घायल कर भाग गये, बाद में उपचार हेतु जिला चिकित्सालय मैनपुरी लाते समय हुकम सिंह की मृत्यु हो गयी थी । जिससे उक्त घटना की रिपोर्ट देवकी नन्दन ने दर्ज करायी थी ।

कोतवाली मैनपुरी में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार विवेचक ने अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित की ।

विद्वान न्यायाधीश श्री किशन चन्द ने पर्याप्त साक्ष्यों व प्रमाणों के अभाव में सभी नामजदों को दोषमुक्त कर दिया । उल्लेखनीय है कि नामजदों में उपदेश सिंह सपा के भोगांव विधानसभा सीट से विधायक हैं । बचाव पक्ष की तरफ से पैरवी अधिवक्ता श्री अनिल भारद्वाज ने की थी ।

आज, आगरा - 30-6-94

साक्ष्य के अभाव में हमले के आरोपी दोषमुक्त किये

मैनपुरी, २९ जून । प्राणघातक हमला करने के आरोप में दोष सिद्ध न हो पाने पर विशेष न्यायाधीश श्री धर्मसिंह ने आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया है ।

प्राप्त विवरण के अनुसार थाना कोतवाली में पंद्रह अक्तूबर सन् ८७ को छपहटी निवासी आनंद मोहन गुप्ता पुत्र इतवारी लाल गुप्ता ने रिपोर्ट लिखायी कि सुबह लगभग छह बजे उनके बड़े दुख हरण गुप्ता उर्फ पप्पू घर से गाय को लोई देने जा रहे थे । उनके पीछे मैं भी मंदिर में पूजा करने जा रहा था जैसे ही पप्पू हरीबाबू गुप्ता के मकान के नजदीक पहुंचे तभी दूसरी ओर से टल्लू बाबू बजाजा बाजार, रामबाबू पंडित ड्राइवर विनोद चौहान धिरौली, सतेंद्र सिंह चौहान हरचंदपुर अपने हाथों में तमंचे लेकर आए और फायरिंग शुरू कर दी । पप्पू जख्मी होकर जमीन पर गिर गये और हमलावर भाग गये । इसमें गंगाराम नाई के भी चोटें आयीं ।न ससुरालीजनों को मेरी बात

जांच अधिकारी ने जांच के बाद घटना को सही पाया और आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया ।

• विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद प्रमाणों तथा साक्ष्य के अभाव और बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार भारद्वाज की दलीलों को सुनकर प्राणघातक हमला के आरोपियों को आरोप से रिहा कर दिया ।

—(१२) 'आज' (आगरा) २० अगस्त १९९४—

प्राणघातक हमले का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ

मैनपुरी, १९ अगस्त । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री सी.डी. राय ने प्राणघातक हमला तथा अवैध हथियार रखने के आरोपी दो को तथा मादक पदार्थ रखने के आरोपी एक अन्य को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है ।

विवरण के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर विजय कुमार सिरोही ने उन्नीस दिसम्बर ८६ को रिपोर्ट लिखायी थी कि गश्त के दौरान उन्हें शिवराज सिंह उर्फ पी.टी. आई. नरेन्द्र कुमार तथा श्रीचन्द्र मिले तथा शिवराज सिंह के कब्जे से दोनाली बन्दूक, नरेन्द्र के कब्जे से राइफल, श्रीचन्द के कब्जे से सौ ग्राम अफीम तथा रायफल बरामद की । आरोपियों ने पुलिस पर फायर भी किये । पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में विचार हेतु प्रेषित किया । आरोपियों की ओर से युवा अधिवक्ता अनिल कुमार भारद्वाज ने सभी आरोपों को झूठा बताकर अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये । रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि घटना के समय बेबर में धारा एक सौ चवालीस लगी थी और आरोपी उसका उल्लंघन कर रहे थे ।

विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में तथा बचाव पक्ष की मजबूत दलीलों के बाद आरोपियों को रिहा कर दिया ।

आज, आगरा - 07-10-95

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मैनपुरी, ६ अक्तूबर। हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर जनपद न्यायाधीश एस.बी. सिंह ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। हत्या के प्रयास में आरोपियों को पांच वर्ष की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुधर सिंह यादव ने की।

विवरण के अनुसार थाना बेवर में चार जून ९३ को चिलौंसा निवासी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मकरन्द सिंह ने रिपोर्ट लिखायी कि उनके ताऊ भारत सिंह पुत्र गंगा सिंह ठाकुर उम्र बासठ वर्ष का जमीनी मुकदमा १९८२ से गांव के रमेश सिंह पुत्र बाबू सिंह से चल रहा था। चौबीस अप्रैल ९३ को उसके ताऊ तृतीय मुंसिफ के न्यायालय से मुकदमा जीत गये थे। चार जून को शैलेन्द्र, उनके भाई राघवेन्द्र सिंह व हरवेन्द्र सिंह, ताऊ भारत सिंह के साथ जीते हुये खेत पर चरी बिखेर कर ट्रैक्टर से जुता रहे थे। ट्रैक्टर को सर्वेश सिंह पुत्र घनश्याम सिंह निवासी शरीफाबाद सौरिखा, फर्रूखाबाद चला रहा था। प्रातः साढ़े छः बजे के लगभग रमेश सिंह कट्टा उनके साथी शिव लखन सिंह पुत्र शमशेर सिंह लाइसेन्सी राइफल, सुरेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह लाइसेन्सी इकनाली बन्दूक लेकर खेत पर आये। रमेश तथा सुरेन्द्र ने फायर किये पर हम लोग बच गये तभी शिव लखन सिंह ने आगे से घेर लिया और ताऊ भारत सिंह को गोली मार दी।

जांच अधिकारी ने विवेचना के दौरान आरोप सही पाया तथा आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया। पत्रावली पर मौजूद प्रमाणों तथा साक्ष्य को पर्याप्त पाकर विद्वान न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा हत्या के प्रयास में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है।

अमर उजाला, आगरा 7-10-95

तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास

मैनपुरी, 6 अक्तूबर। जनपद न्यायाधीश श्री एस.बी. सिंह ने हत्या के आरोप में आरोपित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के गांव चिलौंसा निवासी 62 वर्षीय भारतसिंह पुत्र गंगा सिंह की वर्ष 1982 से एक खेत पर स्वामित्व को लेकर गांव के रमेश सिंह पुत्र बाबूसिंह से दीवानी न्यायालय में मुकदमेबाजी चल रही थी। 24 अप्रैल 93 को भारतसिंह तृतीय मुंसिफ के न्यायालय से मुकदमा जीत गये थे। 4 जून 1993 को भारत सिंह अपने भतीजे शैलेन्द्र सिंह, राघवेन्द्र सिंह व हरवेन्द्र सिंह को साथ लेकर अपने जोते हुये खेत में चरी बिखेर कर ट्रैक्टर से जुतवा रहे थे कि प्रातः 6.30 बजे के लगभग रमेश सिंह पुत्र बाबूसिंह अपने साथ लखनसिंह पुत्र शमशेर सिंह व सुरेन्द्र सिंह पुत्र ब्रजराजसिंह को लेकर खेत पर आ गये। तीनों लोग क्रमशः तमंचा, रायफल व बंदूक लिये हुये थे। इन लोगों ने गोलियां दागीं। जिससे भारत सिंह व उनके भतीजे गांव की तरफ भाग खड़े हुये। अभियुक्तों ने भारतसिंह को घेर लिया और उनके सीने में गोली उतार दी जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी।

इस घटना की नामजद रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गयी। विवेचनाधिकारी ने जांच में अभियुक्तों को आरोप का दोषी माना तथा आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया।

विद्वान न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी मानते हुये धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 307 में पांच वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सुधरसिंह यादव, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार तिवारी व अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

(१२) 'आज' आगरा ७ अक्टू 1995

सीमा हत्याकाण्ड के आरोपी दो भाई जमानत पर रिहा

मैनपुरी, ६ अक्तूबर। हत्या के आरोप से आरोपित बहुचर्चित मामले में चन्द्रा गैस एजेन्सी के मालिक सतीश सिंह चौहान तथा उनके बड़े भाई डा. सन्तोष सिंह चौहान को जनपद न्यायाधीश एस.बी. सिंह ने खचाखच भरी अदालत से जमानत पर रिहा हुई इस हत्या के बाद कई नाटकीय मोड़ आये तथा दोनों भाइयों की जमानत को लेकर अटकलों का दौर भी जारी रहा। दूसरी ओर मृतका के पति जय गणेश तिवारी के अभिवक्ता दिनेश दीक्षित ने न्यायालय में लिखित रूप से क्षमा याचना कर ली। जय गणेश ने अपने वकील के माध्यम से जनपद न्यायाधीश पर गम्भीर आरोप लगाये थे।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए लखनऊ से आये वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के. ... जिला शासकीय अधिवक्ता एन.के. तिवारी ...नी रंजन मिश्रा, अनिल कुमार भारद्वाज ने अ... ...क्ष रखते हुए कहा कि मृतका के पति द्वारा लिखायी रिपोर्ट के अनुसार आरोपी उनका मैनपुरी से ही पीछा करते रहे तथा ओवर टेक भी किया। लेकिन रिपोर्ट कर्ता ने पुलिस की शरण अथवा सहायता नही ली। इसके अलावा मृतका की बायीं तरफ गोलियों के निशान है जबकि दायी तरफ से ओवर टेक किया था। चौबीस सितम्बर को अमावस्या की रात थी। आरोपियों को पहचानने के लिए प्रकाश भी नहीं था। मृतका के भाई राकेश कुमार मिश्रा के अभिवक्ता महेन्द्र

वकील ने अदालत से लिखित क्षमा मांगी

कुमार मिश्र ने भी अपना पक्ष रखा जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अभिवक्ता फौजदारी सुधर सिंह यादव, सत्य प्रकाश तिवारी ने भी अपना पक्ष रखा तथा यह भी कहा कि वह किसी राकेश कुमार मिश्रा को नही जानते हैं।

ज्ञातव्य है कि चौबीस सितम्बर को सीमा उर्फ संगीता की हत्या नौरंगाबाद भट्टे के समीप कर दी गयी थी तथा उसके पति जय गणेश तिवारी घायल हो गये थे। रिपोर्ट दोनों भाइयों के विरूद्ध जय गणेश द्वारा लिखायी गयी थी। सी.ओ. भोगांव आर.पी. गौड़ ने आनन-फानन में रात में ही दविश देकर डा. सन्तोष सिंह तथा उनके भाई सतीश सिंह को उनके खरगजीत नगर स्थित आवास से सोते समय जगाकर गिरफ्तार कराया तथा गुमटी के पास मे गिरफ्तारी दिखा दी। इसी दौरान मृतका के भाई राकेश कुमार मिश्रा निवासी नुनाई फर्रूखाबाद ने अपने बहनोई तथा अन्य परिवारीजनों के विरूद्ध दहेजी हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाबू सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मजिस्ट्रेट ने आदेश किया कि थाना भोगांव पुलिस अभियोग दर्ज कर विवेचना करे।

उक्त बहुचर्चित काण्ड की सुनवाई के लिए सुबह से ही अदालत खचाखच भरी थी। कई वकील अपना कामकाज छोड़कर न्यायालय में आ गये थे। शहर के तमाम सभ्रान्त नागरिक भी जमानत के आदेश को सुनने के लिए प्रातः से ही न्यायालय पहुंच गये थे। बहस के बाद आदेश न होने तक अटकलों का दौर जारी रहा। अपने-अपने तरीके से चर्चायें चलती रहीं। कई अधिवक्ताओं सहित तमाम लोगों का मानना था कि जमानत खारिज हो जायेगी क्योंकि मामला काफी चर्चित हो गया था दूसरी ओर अधिकांश लोगों को पूरा भरोसा था कि जमानत हो जायेगी। इन अटकलों पर उस समय पूर्ण विराम लग गया जब सायं लगभग साढ़े चार बजे यह पता चला कि चौहान बन्धुओं की जमानत हो गयी है। आदेश के बाद भी दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे करते देखे गये।

जमानत के बाद अब उक्त मामले में क्या नया मोड़ आता है यह अभी बाकी है क्योंकि दहेजी हत्या की जांच अभी होनी शेष है तथा हत्या के मामले में भी विवेचना अभी बाकी है।

दैनिक जागरण, 7-10-95

चन्द्रा गैस एजेन्सी के मालिक जमानत पर रिहा

मैनपुरी, ६ अक्तूबर (नि.प्र.)। मैनपुरी के बहुचर्चित सीमा हत्याकांड में फर्जी रूप से नामजद चन्द्रा गैस के संचालक श्री सतीश सिंह चौहान एवं उनके बड़े भाई डा. संतोष सिंह चौहान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस.बी. सिंह ने दस हजार के मुचलके एवं जमानत पर रिहा कर दिया। आज डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जिला जज के निर्णय के इंतजार में ४ बजे तक सैकड़ों संभ्रान्त नागरिक इंतजार में खड़े रहे।

डा. संतोष कुमार सिंह एवं श्री सतीश सिंह की ओर लखनऊ के पूर्व एडवोकेट जनरल श्री के.जी. मलहोत्रा, नरेन्द्र तिवारी, श्री अनिल भारद्वाज ने पैरवी की तथा सरकारी पक्ष की ओर से पैरवी श्री सुधर सिंह डी.जी.सी. ने की।

गत एक सप्ताह से डा. संतोष सिंह एवं सतीश सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक तरह का आंदोलन सा छिड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, जिला कांग्रेस कमेटी एवं विभिन्न सामाजिक और पत्रकार संगठनों ने नगर में दोनों संभ्रान्त व्यक्तियों पर कत्ल का झूठा मुकदमा कायम करने का प्रबल विरोध किया था। जिला पुलिस प्रशासन की निगाह में भी यह मामला काफी संदिग्ध हो गया है। पूरे नगर ने सतीश सिंह को सीमा हत्याकांड में गिरफ्तार किये जाने का प्रबल विरोध किया है।

अमर उजाला, आगरा - 17-01-96

प्राण घातक हमले के सात आरोपी बरी

मैनपुरी, 16 जनवरी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री खेम सिंह ने प्राण घातक हमले के आरोप में आरोपित सात अभियुक्ततगतों को दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम फरैजी निवासी बलवीर सिंह यादव पुत्र उलफत सिंह वर्ष 1992 में भिटारा के जिलेदार पुत्र रामसिंह यादव से 25 सौ रुपये नकद व एक कुंटल गेहुं कर्ज के तौर पर लिये थे। करीब दस माह बाद 24 फरवरी 93 को बलवीर ने जिलेदार से अपने गेहू व रुपये की मांग की। इस बात पर दोनों में वाद-विवाद गाली-गलौज व मारपीट होने लगी। इसी बीच जिलेदार के परिजन बन्दूक, लाठी आदि से सुसज्जित होकर आ गये और गोलियां दाग दी, जिससे बीच बचाव कराने आये गांव के कुंजीलाल व भारत सिंह घायल हो गये। इसी घटना में चली ईंटों से हाकिम नाम का एक व्यक्ति चोटिल हो गया। इस घटना की रिपोर्ट राम नरेश पुत्र उलफत सिंह ने पुलिस में दर्ज करायी। ग्राम भिटारा के जिलेदार, रविन्द्र सिंह, वेदराम, ऊमन सिंह, जागेश्वर सिंह, शिवराम सिंह व नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध पंजीकृत करायी। विवेचक ने प्राथमिक जांच में अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाया तथा उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण के लिये प्रेषित कर दिया।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से केस की पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

---

(८) 'आज' आगरा ३ मार्च १९९६

साक्ष्य के अभाव में हत्या और लूट के आरोपी दोष मुक्त

मैनपुरी, २ मार्च। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.पी.गोविल ने लूट सहित हत्या के तीन आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाणों के अभाव में दोषमुक्त घोषित कर दिया है। आरोपियों की ओर से पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

विवरण के अनुसार थाना कुरावली में सुखराम सिंह पुत्र फूल सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी अकबरपुर कुरावली ने रिपोर्ट लिखायी कि पच्चीस मई ९१ को ग्रामवासी बाबूराम की लड़की की बारात आयी थी। शाम करीब साढ़े आठ बजे बारात चढ़ रही थी। घर पर मेरा दफेदार रह गया था। फायर की आवाज पर जब ग्रामवासी तथा उसकी मां फायर की आवाज पर घर आये तो देखा कि दफेदार मरा पड़ा है। दफेदार एक दिन पूर्व बरौलिया निवासी सरनाम सिंह से तेरह सौ रुपया तथा सोनेलाल से तीन सौ रुपया लाया था। हत्या के पश्चात रुपये भी नहीं मिले हैं। घटना की रिपोर्ट छब्बीस मई को लिखायी गयी।

विवेचना अधिकारी ने जांच के दौरान जयवीर, वारा तथा कैलाशसिंह उर्फ करुआ को दोषी पाया तथा आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद प्रमाणों तथा साक्ष्य को अपर्याप्त पाकर लूट सहित हत्या के आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया।

Dainik AAZ Kanpur. 24.5.96.

विविध

मैनपुरी में सपा नेता छोटे दीक्षित को गोलियों से भूना

☐ जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर की भी मौत

मैनपुरी, २३ मई। दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर हुई जमकर गोलीबारी में सपा नेता और बेबर टाउन एरिया के उपाध्यक्ष राजवीर उर्फ छोटे दीक्षित समेत एक अन्य की मौत हो गयी। मृतक छोटे सिंह दीक्षित क्षेत्र के काफी चर्चित व्यक्ति होने के साथ-साथ वर्तमान में बेबर टाउन एरिया की अध्यक्ष विमला दीक्षित के पुत्र थे। पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे दोनों पक्षों में चली आ रही पुरानी रंजिश है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक छोटे दीक्षित आज कुछ निजी कार्यवश मैनपुरी आये हुए थे। सायं पांच बजे तक वे अपने कार्य से फुरसत पाकर करीब साढ़े पांच बजे जिप्सी से अपने गनर और चार पांच लोगों समेत बेबर के लिए रवाना हुए। अपने सहयोगियों से सपा की भावी रणनीति पर चर्चा करते हुए वे भोगाव पार करके जी.टी.रोड पर स्थित अरम सराय के पास पहुंच गये। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने छोटे दीक्षित की जिप्सी में टक्कर मारने की कोशिश की। ट्रक से बचने के लिए उन्होंने अपनी जिप्सी कच्ची पटरी पर उतार ली। ट्रक आगे चला गया जिसमें करीब चालीस-पचास हथियार बन्द आदमी सवार थे।

अभी छोटे दीक्षित कुछ सोच पाते कि पीछे से दो जीपों में करीब दर्जन भर हथियार बन्द लोग आ धमके। दोनों जीपों के सवारों ने सड़क के दोनों ओर मोर्चा सम्हाल कर जिप्सी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। छोटे दीक्षित के साथ चल रहा गनर एवं अन्य लोग तब तक जिप्सी से कूद कर भाग निकले। छोटे दीक्षित ने भी अपने बचाव के लिए जिप्सी में ही मोर्चा सम्हाला। गोलियां भी चलायीं जिससे हमलावर पक्ष का एक आदमी बबलू दीक्षित मारा गया। लेकिन छोटे दीक्षित अधिक समय तक हमलावरों का मुकाबला नहीं कर सके और ढेर मारे गये। छोटे दीक्षित का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया। बताया जाता है कि छोटे सिंह के शरीर में कम से कम बीस गोलियां लगी है।

चूंकि हादसा भोगांव पुलिस के थाना क्षेत्र में हुआ था, अतः घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी। छोटे दीक्षित के शव को परीक्षण के लिए स्थानीय चिकित्सालय के शव के परीक्षण गृह ले आयी।

हादसा बेबर में दो गुटों के बीच चली आ रही खूनी रंजिश का नतीजा है। जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। अभी तक इस रंजिश की भेंट दोनों पक्षों की ओर से आधा-आधा दर्जन लोग चढ़ चुके हैं। छोटे दीक्षित क्षेत्र में काफी चर्चित व्यक्ति थे। उधर उपदेश सिंह चौहान भी 'किसी से कम नहीं' की तर्ज पर अपना परचम फहराये हुए हैं। इन दोनों के बीच पूर्व में भी कई बार खूनी मुकाबले होते रहे हैं। अभी तक दोनों लोग बिना किसी राजनीतिक मानसिकता के एक दूसरे को नीचा दिखाने की गरज से राजनीतिक पार्टियां बदलते रहे हैं। जब एक दूसरे राजनीतिक दल में घुसा तो दूसरे ने तुरन्त उसके राजनीतिक शत्रु के पाले में दाखिला ले लिया।

जहां उपदेश चौहान वर्तमान में भाजपा के नेता है वहीं वे स्वयं और उनके भाई पीटी आई पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। छोटे दीक्षित पूर्व में स्वयं टाउन एरिया बेबर के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी मां विमला देवी टाउन एरिया की अध्यक्ष हैं। मृतक छोटे दीक्षित के सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से घनिष्ठ सम्बन्ध जग जाहिर है। दीक्षित ने ही मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध किया था। श्री यादव को दीक्षित ने ब्राह्मण वोट दिलाने के साथ-साथ एक लाख रुपये नकद की धनराशि भेंट की थी। उन्होंने चुनाव में मुलायम का खुलकर प्रचार किया और ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभायी।

छोटे दीक्षित की हत्या की खबर जनपद में जंगल की आग के माफिक फैल गयी। सैकड़ों की संख्या में लोग घटना स्थल और शव परीक्षण गृह के पास एकत्र हो गये। छोटे दीक्षित के परिवारी सूत्रों ने बताया कि अंत्येष्टि में मुलायम सिंह यादव के आने की पूरी उम्मीद है।

दैनिक जागरण, आगरा, ११ सितम्बर, १९९६ (५)

कड़ी सुरक्षा के बीच उपदेश व शिवराज आज नामांकन भरेंगे

मैनपुरी, १० सितम्बर (नि.प्र.)। बहुचर्चित छोटे दीक्षित हत्याकांड के अन्तर्गत जिला कारागार मैनपुरी में निरुद्ध पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान एवं उनके बड़े भाई पूर्व विधायक शिवराज सिंह चौहान कल ११ सितम्बर को नामांकन दाखिल करेंगे।

उपदेश सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ३४२ मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र तथा शिवराज सिंह चौहान बहुजन समाज वादी पार्टी की ओर से ३३८ भोगांव विधान सभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल करेंगे। न्यायालय ने ११ सितम्बर से १४ सितम्बर एवं १६ सितम्बर तक दोनों भाइयों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के निर्देश दिये हैं। उपदेश सिंह चौहान १२ सितम्बर को फर्रूखाबाद जनपद की मौहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र से भी नामांकन दाखिल करेंगे।

उपदेश सिंह चौहान के अधिवक्ता अनिल भारद्वाज ने जागरण को बताया कि दोनों भाइयों की ओर से जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि वे १९९६ विधान सभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहते हैं। जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय श्री नवनीत कुमार ने प्रार्थना पत्र को सुनने के बाद एस.एस.पी. मैनपुरी को आदेश दिया है कि उपदेश सिंह चौहान एवं शिवराज सिंह को ११ सितम्बर से १४ सितम्बर तथा १६ सितम्बर को कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाय। एस.एस.पी. अमर दत्त मिश्रा ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुये कारागार से नामांकन कार्यालय आने जाने हेतु उपदेश सिंह चौहान तथा शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये हैं।

१५ को हरितालिका व्रत

कानपुर, १० सितम्बर। ज्योतिष के मासिक पत्रिका के संपादक ने बताया कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में दो प्रतिपदायें हैं। १३ एवं १४ को प्रतिपदा की तिथि है। १५ सितम्बर को प्रातः ७ बजकर १३ मिनट तक ही द्वितीया है, तत्पश्चात तृतीया है, तृतीया की तिथि को ही हरितालिका का पर्व होता है।

बेवर के सामूहिक हत्याकाण्ड में प्रयुक्त जिप्सी इटावा में मिली

मैनपुरी, १० सितम्बर (नि.प्र.)। भोगांव में उपदेश सिंह चौहान के भतीजे सहित छह व्यक्तियों के सामूहिक हत्याकांड में प्रयोग की गयी नीली जिप्सी आज इटावा जनपद में पुलिस द्वारा बरामद कर ली गयी है। एक अन्य मारुति कार जिसमें ए.के. ४७ राइफल में कारतूस बरामद हुये थे, को भी मैनपुरी पुलिस ने देवीरोड पर कैलाश आश्रम के समीप बरामद करने में सफलता प्राप्त कर ली है। पुलिस सूत्रों से भी इटावा में मारुति जिप्सी बरामद होने की पुष्टि हो गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उपदेश चौहान के भतीजे रिपु एवं अन्य पांच लोगों की हत्या में प्रयुक्त की गयी बहुचर्चित नीली मारुति जिप्सी डी.एन.ए. ३५३५ को इटावा पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह मारुती जिप्सी इटावा औरैया मार्ग पर एक होटल के समीप एक गड्ढे में पड़ी पाई गयी। अनुमान किया जा रहा है कि सामूहिक हत्याकांड करने के बाद किसी प्रकार अपराधी इटावा औरैया मार्ग पर पहुंच गये तथा वहां पर जीप को गड्ढे में डालकर कहीं फरार हो गये। अभी तक पुलिस इस मामले को छिपाये [illegible] थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उदय सिंह के पूछे जाने पर जीप पकड़े जाने की पुष्टि कर दी है।

अमर उजाला आगरा - 12-9-96

एस.एस.पी. उपदेश व शिवराज को जेल से बाहर लाने के पक्ष में नहीं

न्यायालय ने जेल में ही नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के अनुरोध को ठुकराया

(संवाददाता)

मैनपुरी, 11 सितम्बर। जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान व शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाने-ले जाने के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार द्वारा पारित किये गये आदेश को संशोधित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमरदत्त मिश्रा ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हर्ष कुमार जैन के माध्यम से न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नवनीत कुमार ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करने से इंकार कर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपदेश सिंह चौहान को मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किये जाने के बाद उन्होंने जनपद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। उन्होंने अपने इस निर्णय से न्यायालय को अवगत करा दिया है। न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश पारित कर दिया गया है कि अब उपदेश सिंह को फर्रुखाबाद ले जाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र में कहा था कि उपदेश सिंह चौहान एवं शिवराज सिंह चौहान 23 मई को कस्बा बेवर निवासी राजवीर उर्फ छोटे दीक्षित की हत्या के आरोप में कारागार में निरुद्ध हैं। पत्र में कहा गया कि इनकी रंजिश कस्बा बेवर के दीक्षित परिवार से है, जो विगत 10-12 वर्षों से चली आ रही है। इसी रंजिश के फलस्वरूप हत्या की कई घटनाएं हो चुकी हैं। रंजिश के कारण 6 सितम्बर की शाम को इन पूर्व विधायकों के प्रबल प्रतिद्वंद्वियों के द्वारा इनके परिजनों सहित 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जिसके सभी अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे है। जिसके कारण इनके जीवन भय की आशंका और बढ़ जाती है। एस.एस.पी. श्री मिश्र ने कहा है कि 6 सितम्बर की घटना में मारे गये इनके भतीजे गजेन्द्र सिंह के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए 7 सितम्बर को इन्हें न्यायालय के आदेश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ले जाया गया था। अंत्येष्टि के अवसर पर इनके समर्थकों की इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था के बावजूद इन्हें सुरक्षित ले जाने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा था।

एस.एस.पी. ने पत्र में कहा कि नामांकन करने, नामांकन वापस लेने, सिम्बल जमा करने तथा नामांकन की जांच के लिए इन्हें यदि जिला कारागार से बाहर लाया जाता है तो स्वाभाविक है कि भारी संख्या में इनके समर्थक व सहयोगी एकत्र होंगे, जिनमें से इनके मित्रों व शत्रुओं की पहचान करना एक दुष्कर कार्य होगा, इसके कारण इनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जेल में निरुद्ध रहकर ही अपने नामांकन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकता है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि इन दोनों पूर्व विधायकों की विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन संबंधी समस्त प्रक्रिया जिला कारागार में ही पूरी कराई जायें।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि विधि प्रक्रिया से स्पष्ट है कि प्रत्याशी अपना नामांकन अपने प्रस्तावक के माध्यम से जेल में निरुद्ध रहते हुए भी पूरा करा सकता है। इन द्वय पूर्व विधायकों के अधिवक्ता ए.आर. मिश्रा, अनिल भारद्वाज ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन्हें विधिक प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समय दिया जाये।

उपदेश सिंह की तरफ से दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उन्हें जिला प्रशासन पर विश्वास नहीं है। जिला प्रशासन की उनके विरोधियों से दुरभि संधि है। यदि नामांकन प्रक्रिया में व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश पुनः वापस लिया जाता है अथवा पूर्व पारित आदेश को संशोधित किया जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा दुरभि संधि के चलते चुनाव से वंचित किया जा सकता है। यह भी भय है कि प्रशासन प्रस्तावकों को डरा धमका कर निश्चित तिथि पर चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न होने दें।

मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में कहा है कि पूर्व आदेश में हस्तक्षेप का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। आवेदकों को जिला प्रशासन पर विश्वास नहीं है और चुनाव कार्यालय जिला कारागार से अधिक दूरी पर नहीं है। आज इस निर्णय की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेज दी गई है।

अमर उजाला - 12-12-96

राजवीर दीक्षित हत्याकांड पर सुनवाई पुनः दो दिन को टली

मैनपुरी, 11 दिसम्बर। बहुचर्चित राजवीर दीक्षित हत्याकाण्ड की सुनवाई आज पुनः दो दिन के लिये टल गयी। अब यह सुनवाई 13 दिसम्बर को जनपद न्यायाधीश केएन मिश्रा के न्यायालय में की जायेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राजवीर दीक्षित हत्याकाण्ड में सुनवाई आरंभ होने से पूर्व अभियुक्तों पर चार्ज लगाये जाने के लिये जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में तिथि नियत थी। उस हत्याकाण्ड में जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान तथा पूर्व विधायक शिवराज सिंह चौहान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में न्यायालय लाया गया। राजवीर दीक्षित हत्याकाण्ड में पुलिस ने 19 लोगों को मुल्जिम बनाया था। इन 19 मुल्जिमों में से दो मुल्जिम महेश फौजी तथा टिल्लू अन्य चार लोगों के साथ भोगांव थाना क्षेत्र में एक हमले में मारे जा चुके हैं।

उपदेश सिंह चौहान के अधिवक्ता अनिल भारद्वाज ने आज जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में टीटू उर्फ सत्येन्द्र, देवेन्द्र उर्फ करु, संतोष उर्फ भूरा, भुनेश, प्रेमपाल सहित 13 अभियुक्तों की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि इन अभियुक्तों का नाम प्रथम सूचना रपट में नहीं था। इनके नाम बाद में सोच समझ कर बढ़ाये गये हैं। लिहाजा इन अभियुक्तों को चार्ज के समय ही डिस्चार्ज कर दिया जाये। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिये 13 दिसम्बर तिथि नियत की गयी है। आज दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद थे।

राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ - 24-9-96

आसपास

छोटे दीक्षित हत्याकाण्ड

पूर्व विधायक खलीफा व शिवराज सिंह को चुनाव प्रचार के लिए एक दिन की मोहलत

सहारा समाचार

भोगांव(मैनपुरी), 23 सितम्बर। थाना भोगांव क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अरम सराय में विगत 23 मई 96 को सपा नेता राजवीर उर्फ छोटे दीक्षित की हत्याकाण्ड में निरुद्ध पूर्व विधायकों की उच्च न्यायालय से जमानत पर छूटने का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दोनों पूर्व विधायकों उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा व शिवराज सिंह उर्फ पी.टी.आई. को महज एक दिन के लिये दिन ही दिन में जिला कारागार से भारी पुलिस अभिरक्षा में चुनाव प्रचार में जाने की अनुमति प्रदान की गई। हत्याकाण्ड के दो अन्य सह नामजद अभियुक्त उच्च न्यायालय के ही आदेश पर ही जमानत पर रिहा हो गये हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सपा नेता छोटे दीक्षित की हत्या के आरोपी दोनों पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान, शिवराज सिंह अपने भतीजे विजेन्द्र सिंह उर्फ भल्लू व सुशील गुप्ता के साथ विगत 24 मई 96 से जिला कारागार मैनपुरी में निरुद्ध चले आ रहे हैं। मैनपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एन. सिन्हा द्वारा सभी नामजद अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर देने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन चला आ रहा था पर विगत 20 सितम्बर को जमानत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से मानते हुये उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एन. तिवारी ने विजेन्द्र उर्फ भल्लू एवं सुशील गुप्ता को तो जमानत पर रिहा कर दिया परन्तु हत्याकाण्ड की भूमिका में दोनों पूर्व विधायकों उपदेश सिंह व शिवराज सिंह की जमानत के प्रार्थना पत्रों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि दोनों विधायक भाईयों पर अनेकों गंभीर अपराधिक मुकदमें लम्बित हैं इस कारण वर्तमान समय में वे दोनों जमानत के अधिकारी नहीं हैं।

न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने अपने संक्षिप्त स्पष्ट आदेश में दोनों पूर्व विधायकों के राजनैतिक भविष्य को मद्देनजर रखते हुए कहा कि है आगामी विधानसभा चुनावों में दोनों पूर्व विधायक भाइयों को कुछ दिन के लिये मात्र दिन ही के समय मे जिला कारागार से पूरी सुरक्षा मे निकालकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति है परन्तु रात्रि में दोनों पूर्व

दो अन्य अभियुक्त जमानत पर छूटे

विधायक समयावधि के अन्दर कारागार में ही निरुद्ध रहेंगे अपने आदेश में श्री न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने कड़ाई स्पष्ट किया है कि दोनों विधायकों को चुनाव मे कुछ दिन के लिये ही प्रचार की अनुमति दी गई है ये अनुमति कुछ दिनों का मतलब सप्ताहों से नहीं है तथा दोनों विधायक भाई प्रचार कार्य के दौरान वादी(मृतक राजवीर उर्फ छोटे दीक्षित) के निवास स्थान पर नहीं जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने आदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैनपुरी को निर्देशित किया है कि मुकदमें की सुनवाई वरीयता के आधार पर यथाशीघ्र तीन माह में दिन प्रतिदिन के आधार पर करें।

न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने दोनों जमानत पर रिहा किये गये सह अभियुक्त भल्लू व सुशील को सुरक्षा प्रदान किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमानत संबंधी आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को मिल जाने पर वे सहानुभूति पूर्वक विचार करके दोनों को सुरक्षा प्रदान करायें। उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी ने दोनों नामजदों को जमानत पर रिहा करके उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मय सुरक्षा प्रार्थनापत्र के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए.के. मिश्रा को भेज दी है।

न्यायामूर्ति श्री तिवारी के दूसरे चुनाव प्रचार संबंधी आदेश के संबंध में समझा जाता है कि दोनों पूर्व विधायक उपदेश व शिवराज के अधिवक्ता अनिल कुमार भारद्वाज व अवनीश रंजन मिश्र आगामी 23 या 24 सितम्बर को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैनपुरी के.एन. सिन्हा की न्यायालय में कुछ दिन के लिये चुनाव प्रचार में एवं मतगणना वाले दिनों के लिये पूर्ण पुलिस अभिरक्षा में जाने के लिये प्रार्थना पत्र देंगे।

अब देखना यह है कि सत्र न्यायाधीश मैनपुरी सिन्हा दोनों पूर्व विधायकों को किस-किस दिन जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा चुनाव न लड़ने व पर्चा वापस लेने के बाद उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा को चुनाव प्रचार की अनुमति देते भी हैं या नहीं।

राष्ट्रीय सहारा - 23-10-96

जमानत के प्रार्थना पत्र को भी रद्द किया

चौहान को कोर्ट में पेश न करने पर कार्रवाई के आदेश

सहारा समाचार

भोगांव(मैनपुरी), 22 अक्टूबर। राजवीर उर्फ छोटे दीक्षित हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी.टी.आई. को निर्धारित रिमाण्ड की तिथि पर न्यायालय में प्रस्तुत न करने पर मजिस्ट्रेट जे.एम. द्वितीय ने कड़ा रुख अपनाते हुये संबंधित लापरवाह जिला जेल मैनपुरी के अधिकारियों के विरुद्ध उचित माध्यम से जांच कराकर विभागीय कार्यवाई किये जाने का आदेश जारी किया है। मजिस्ट्रेट ने रिमाण्ड को अवैध मानकर जिला जेल मे पूर्व विधायक पी.टी.आई. को गलत रूप से निरुद्ध रखे जाने के कारण दिये गये जमानत प्रार्थना पत्र को भी रद्द कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार छोटे दीक्षित की हत्या के मुकदमा नम्बर 1994 सन 96 अपराध संख्या 153ए सन96 अन्तर्गत धारा 147,148,149,307 व 302 राज्य बनाम उपदेश सिंह चौहान आदि न्यायालय ने एम द्वितीय मैनपुरी में दिनांक 19 अक्टूबर 96 पूर्व में नियत थी जिसमें राजवीर उर्फ छोटे दीक्षित हत्याकाण्ड के कथित अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत होना था जिसमे भल्लू-करू, लालमन, संतोष गुप्ता, देवेन्द्र, प्रेमपाल आदि जो कि पूर्व में न्यायाल से जमानत पर चल रहे हैं न्यायालय में हाजिर आये इनके अतिरिक्त रिमाण्ड पर जिला जेल मैनपुरी से सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा, सुशील गुप्ता व प्रमोद को तो जेल अधिकारियो ने न्यायालय उपस्थित किया परन्तु अज्ञात कारणों से पूर्व विधायक सह अभियुक्त शिवराज सिंह चौहान को उक्त तिथि में तीन बार न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया। जबकि अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने सिपाही कोर्ट मुहर्रिर रंजीत को विशेष रूप से शिवराज का वारण्ट लेकर जिला कारागार भेजा व वारण्ट को तामील भी जेल अधिकारियों पर कराई गई थी। जब न्यायालय में शिवराज का सांयकाल 3 बजे तक जेल से नहीं लाकर प्रस्तत किया गया तो अभियुक्त शिवराज सिंह के अधिवक्ता अनिल कुमार भारद्वाज व अवनीश रंजन मिश्र ने मौके का फायदा उठाकर शिवराज सिंह को जेल में निरुद्ध रखा जाना गलत बताकर एक जमानत प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की न्यायालय में प्रस्तुत किया और प्रार्थना पत्र को तुरन्त सुनने का आग्रह किया।

इस पर मजिस्ट्रेट ने मामले को सेशन कोर्ट से संबंधित बताकर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया और अपने आदेश में जिला जेल मैनपुरी की ओर इंगित करते हुये कहा कि मैनपुरी जिला कारागार के अधिकारी मुकदमा उपरोक्त में अभियोजन पक्ष की मदद जानबूझकर करने में लापरवाही बरत रहा है क्योंकि पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 96 को भी जेल अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के बाद भी उपदेश सिंह, सुशील व प्रमोद गुप्ता को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया था।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त शिवराज सिंह को जमानत अवश्य नहीं दी गई है परन्तु सभी अभियुक्तों को पुनः हरहालत में 26 अक्टूबर 96 को प्रस्तुत किया जाये तभी पूर्व विधायक उपदेश द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कम हो जाने के कारण रिमाण्ड जिला जेल में ही करने के प्रार्थना पत्र को सुना जाएगा। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश की एक प्रति अभियोजन पक्ष को देते हुये कहा कि प्रति को जिलाधिकारी मैनपुरी विजय गुप्ता व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए.के. मिश्रा के संज्ञान में लाया जाये ताकि वे अपने स्तर से उचित माध्यम से अभियुक्त शिवराज सिंह को जेल अधिकारियों द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत न करने के कारणों की जाच करवा कर पूरे प्रकरण में लिप्त लापरवाह अधिकारीगण जिला जेल मैनपुरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो सके।

बहरहाल जेल अधिकारियों के खिलाफ होने वाली जांच में सत्यता चाहे कुछ भी सामने उजागर होकर आये परन्तु इतना निश्चित है कि हत्याकाण्ड के कथित अभियुक्तों को जेल अधिकारियों की इस घोर लापरवाही का फायदा कानूनी दृष्टि से अवश्य हो सकता है।

अमर उजाला आगरा 07-12-96

पूर्व विधायक उपदेश सिंह सहित चार लोग लूट के आरोप से बरी

मैनपुरी, 6 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) हरी सिंह ने लूट के आरोप से आरोपित पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान सहित चार अभियुक्तों को दोष मुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार ट्रक संख्या यू.पी. 84-917 में गुहाटी से दिल्ली सीमा के लिये कोयला लादा गया था। 24 मई 90 को यह ट्रक जैसे ही कस्बा बेवर में जी.टी.रोड़ पर स्थित एक शीतगृह के समीप पहुंचा कि उसे नामजदों ने रोक लिया और ट्रक को पुनः पीछे मुड़वा लिया। एक जीप ट्रक के पीछे-पीछे चलने लगी। नामजदों ने इस ट्रक को छिबरामऊ-फर्रुखाबाद [illegible] पर ले जाकर ट्रक के चालक से तीन हजार रुपये छीन लिये [illegible] लोगों को ट्रक में बिठाकर [illegible] यह [illegible] दिया कि यह दिल्ली सीमा पर [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] लोगों को [illegible] हजार रुपये [illegible] दिये।

इस घटना की रिपोर्ट बेवर निवासी ट्रांसपोर्टर वीरेन्द्र कुमार ने पुलिस में तत्कालीन विधायक उपदेश सिंह चौहान, कस्बा बेवर निवासी रामदास, ग्राम छिबकरिया निवासी राजवीर तथा जनपद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नगला खान सिंह निवासी देवेन्द्र पुत्र गुरु बचन के विरुद्ध दर्ज कराई। विवेचनाधिकारी ने प्राथमिक जांच में अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण के लिये प्रेषित कर दिया। पूर्व विधायक ने न्यायालय को बताया कि उन्हें पार्टी बंदी के कारण फंसाया गया है।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में चारों अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। उपदेश सिंह चौहान की तरफ से पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज [illegible] की।

आज आगरा 1-6-97

दहेज हत्या के आरोपी देवर की जमानत अर्जी मंजूर

मैनपुरी, ३१ मई । दहेज हत्या के आरोपी देवर की जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरीशंकर शर्मा ने मंजूर करली । देवर नीरज उर्फ लिटिल त्रिपाठी की ओर से जमानत का आवेदन अनिल कुमार भारद्वाज एड. द्वारा किया गया ।

विवरण के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोतियाना निवासी कृष्ण औतार पाण्डेय ने गत २९ मार्च को थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखायी कि उनकी पुत्री ममता की शादी करीब दो साल पहले संजय कुमार त्रिपाठी पुत्र बटेश्वर नाथ त्रिपाठी निवासी विशुनगढ फर्रुखाबाद के साथ की थी । वर्तमान में वे लोग कस्बाबेबर में इटावा रोड पर रहते थे । शादी के बाद से दहेज में बीस हजार रु. नकद तथा वाशिंग मशीन की मांग को लेकर ममता को उसकी सास कमला देवी, ससुर बटेश्वरी नाथ, ननद निशा, ननद बबिता उर्फ डौली देवर बन्टी उर्फ अमित कुमार देवर नीरज कुमार उर्फ लिटिल परेशान करते थे सताईस मार्च को ममता ने अपनी मां गिरिजादेवी को बताया भी था ममता को उक्त लोगों ने दहेजी मांग के कारण जलाकर मार दिया । विद्वान न्यायाधीश ने दहेजी हत्या के आरोपी देवर की जमानत मंजूर कर ली ।

अमर उजाला, आगरा - 26.6.97

आठ अभियुक्त लूट व दोहरे हत्याकांड के आरोप से दोषमुक्त

मैनपुरी, 25 जून। विशेष न्यायाधीश सरदार अख्तर ने लूट व दोहरे हत्याकाण्ड के आरोप से आरोपित आठ अभियुक्तों को आरोप से दोषमुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद के उपनगर भोगांव निवासी शमशुद्दीन वी.सी.पी. व टी.वी. को किराये पर उठाता था। 9 जून 88 को दो युवक उसके पास आये और उन्होंने अपने को ग्राम रम्पुरा का निवासी बताया। इन युवकों ने 13 जून के लिये शमशुद्दीन से वी.सी.पी. किराये पर ले जाने के लिये बात तय कर ली और [illegible] रुपये अग्रिम रूप में भुगतान करने के पश्चात वापस चले गये। शमशुद्दीन को क्या पता था कि ये युवक छद्म भेषधारी बदमाश हैं।

13 जून की शाम को दोनों युवक शमशुद्दीन के पास आ गये। विलम्ब हो जाने के कारण शमशुद्दीन ने जाने में आनाकानी की भी मगर बाद में वह युवकों के अनुरोध को टाल न सका। दोनों युवक जो बदमाश थे ने अपने अन्य भी साथियों को पहले ही बेवर थाना क्षेत्र में एक निर्धारित स्थान पर लूट के लिये छिपा दिया था। शमशुद्दीन गुड्डू नाम के एक रिक्शा चालक के रिक्शे पर अपना वी.सी.पी. व टी.वी. आदि सामान रखकर रम्पुरा के लिये चल दिया। बेवर थाना क्षेत्र में स्थित [illegible] नहर पर रिक्शा कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि बदमाशों ने शमशुद्दीन व रिक्शा चालक गुड्डू को दबोच लिया। दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद उन्हें चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। बदमाश वी.सी.पी. व टी.वी. लेकर फरार हो गये। प्रातः जब पुलिस को शव पड़े मिले तो एकदम हड़कंप मच गया।

पुलिस ने इस दोहरे हत्याकाण्ड को एक चुनौती के रूप में लिया। घटना के दो माह पश्चात 2[illegible] अगस्त को बेवर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय सिरोही ने एक स्थान पर छापा मारकर बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम महापुर निवासी दुर्विजय सिंह पुत्र रामसहाय को बंदी बना लिया। पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि इस लूट व हत्याकाण्ड में उसके साथ उसके गांव का अखिलेश उर्फ बिजलेश उर्फ बिल्लू पुत्र ईश्वरी प्रसाद व राकेश पुत्र छक्कन, ग्राम मटियाहार निवासी तेज सिंह, कस्बा बेवर निवासी रामसिंह गड़रिया, ग्राम [illegible] खेड़ा थाना भोगांव निवासी मिलाप सिंह, ग्राम अरैना थाना एलाऊ निवासी हरीराम, ग्राम बंजपुरा निवासी शिशुपाल, दन्नाहार थाना क्षेत्र निवासी श्याम सिंह व फर्रुखाबाद निवासी सत्यपाल लोधी थे। पुलिस ने विवेचना में इन सभी अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाया तथा आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया।

मुकदमे के दौरान अभियुक्त अखिलेश व दुर्विजय की मृत्यु हो गयी शेष आठ अभियुक्तों का न्यायालय में परीक्षण हुआ।

विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणों के अभाव में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से इस केस की पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज एडवोकेट ने की।

अमर उजाला/आगरा - 2-10-97

दहेज हत्या के आरोपी रिहा

मैनपुरी, 1 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश सरदार अख्तर ने दहेज हत्या के आरोप से आरोपित पति, सास एवं श्वसुर को दोष मुक्त घोषित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम टकइया निवासी रामनरेश पुत्र नाथू राम ने अपनी पुत्री सुधा 21 वर्ष का विवाह 18 अप्रैल 87 को बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगा निवासी पूरन लाल के पुत्र सन्तोष कुमार के साथ किया था। विवाह में यथा संभव दहेज भी दिया गया था मगर उस दहेज से सुधा के ससुरालीजन सन्तुष्ट नहीं हुये। उन्होंने अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोपेड व सोने की जंजीर की मांग आरंभ कर दी। इस मांग को पूरा कराने के लिये उन्होंने सुधा को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। इस सम्बन्ध में सुधा ने अपने मायके वालों को पत्र भेजकर शिकायत भी की। सुधा के मायके वालों ने पंचायत भी की मगर उसका कोई असर सुधा के ससुरालियों पर नहीं हुआ। 29 मई 88 को सुधा की हत्या कर दी गयी तथा साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से लाश को जला दिया गया। 30 मई 88 को राम नरेश द्वारा घटना की रिपोर्ट मृतका के पति, श्वसुर के अलावा सास श्रीमती सुदामा देवी के विरुद्ध पंजीकृत कराई।

विवेचना अधिकारी ने जांच में अभियुक्तों को आरोप का दोषी पाया और आरोप पत्र न्यायालय परीक्षण हेतु प्रेषित कर दिया। परीक्षण के दौरान न्यायालय में अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता अनिल भारद्वाज के माध्यम से अपने को निर्दोष बताया। विद्वान न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त घोषित कर दिया।

तारा :- 6-9-1997

हत्या के आरोपी रिहा

फरीदाबाद, सितम्बर। एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पिछले डेढ़ साल से कारावास काट रहे सात लोगों को कल अतिरिक्त सैशन जज श्री पी.सी. गोयल ने बाइज्जत बरी कर दिया। ज्ञात रहे कि मृतक ओमप्रकाश मथुरा रोड़ पर स्थित मोटले इन्डस्ट्रीज में नौकरी करता था। बताया गया है किसी कारण वश ओमप्रकाश को नौकरी से हटा दिया गया। परन्तु ओमप्रकाश को यह गलतफहमी हो गई कि उसको फैक्टरी से निकलवाने में विजय पाल, अतुल शर्मा, ताराचंद, शंकरलाल, भूपसिंह दलाल, देवेन तथा, श्रीकांत पांडे ने षडयंत्र रचा है। ये सातों भी उक्त फैक्टरी में कार्यरत थे। इसी बात से दुखी होकर उसने अपने आपको आग लगा ली। ओमप्रकाश की चीखें सुनकर वहीं से गुजर रहा उसका पड़ोसी जगपाल वहां आ गया। ओमप्रकाश की अवस्था देख जगपाल उसे बी.के. अस्पताल ले गया, परन्तु उसकी स्थिति की नाजुकता को भांपते हुए डाक्टरों ने उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया, जहां उसकी बिना ब्यान दिये मौत हो गई। बाद में मृतक के भाई ने पुलिस से मिलीभगत कर उक्त सातों लोगों पर अपने भाई की हत्या करने का मामला दर्ज करवा दिया, परन्तु बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार भारद्वाज द्वारा अपने मुवक्किलों के पक्ष में प्रस्तुत किए गए सबूतों के बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष मानते हुए कल ससम्मान रिहा कर दिया।

(43)

जे.वी.जी टाइम्स - 7-10-97

[illegible] सात आरोपी बरी

[illegible]

फरीदाबाद, 6 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पी सी गोयल ने ओमप्रकाश सूबेदार हत्याकांड के सात आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। ये लोग पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद थे।

मालूम हो ओमप्रकाश सूबेदार मथुरा रोड पर मै. मोटेल इंडस्ट्रीज में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात था। फैक्टरी प्रबंधकों ने श्री सूबेदार को ड्यूटी ठीक ढंग से न करने के आरोप में निकाल दिया था। ओमप्रकाश को संदेह था कि उसे नौकरी से निकलवाने में इसी फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारी विजय पाल, भूप सिंह दलाल, अतुल शर्मा, देवेन पांडे, श्रीकांत पांडे, ताराचंद और शंकर लाल का हाथ था। उक्त लोगों को सबक सिखाने की नियत से ओमप्रकाश ने अपने घर के पास के जंगल में जाकर खुद को आग लगा ली।

आग लगाने के बाद ओमप्रकाश की चीख-पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे जगपाल ने उसकी आग बुझाई। ओमप्रकाश को गंभीर अवस्था में बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डाक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भेज दिया था। पांच दिन बाद इसी अस्पताल में ओमप्रकाश की मौत हो गई थी।

मृतक के भाई सत्यवान ने उक्त सातों के खिलाफ हत्या की साजिश के आरोप में पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस मुकदमे में मृतक के भाई ने अदालत में 13 गवाह पेश किए बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार भारद्वाज ने ठोस सबूत पेश कर आरोपियों को निर्दोष बताया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद उक्त सातों आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया है।

प्रस्तावित 8.33 प्रातिशत [illegible] [illegible]

राष्ट्रीय [illegible] [illegible] 1997

झूठे केस में फंसे व्यक्ति दोषमुक्त

फरीदाबाद, 5 सितम्बर। लगभग [illegible] वर्ष पूर्व स्वयं जलकर मरे एत्मादपुर निवासी सूबेदार ओमप्रकाश के मामले में झूठे फंसाए गए सात लोगों को आज अतिरिक्त सेशन जज श्री पी.सी. गोयल ने ससम्मान बरी कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मृतक ओमप्रकाश मथुरा रोड पर स्थित मोटल इंडस्ट्रिज में कार्यरत था। बताया जाता है कि इंडस्ट्रिज में सही ढंग से कार्य न करने के कारण प्रबन्धकों ने उसे निकाल बाहर किया था। ओमप्रकाश ने गलतफहमी के कारण समझा कि इंडस्ट्रिज से बाहर निकलवाने में [illegible] दलाल, तारा चंद, देवेन्द्र [illegible], [illegible] पांडे, विजयपाल, अतुल शर्मा व शंकर लाल का हाथ है।

ये सात लोग भी मोटल इंडस्ट्रिज में ही [illegible] थे।

[illegible] से [illegible] सातों लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने घर आकर अपने शरीर में आग लगा ली। [illegible] से [illegible] पड़ोसी [illegible] ने चीख-पुकार की आवाज सुनी तथा ओमप्रकाश को जली अवस्था में देखकर उसे जल्द से जल्द स्थानीय अस्पताल [illegible] में दाखिल कराया। जहां उसकी हालत गंभीर हो गयी। डाक्टरों ने उसे राममनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसकी [illegible] मृत्यु हो गयी।

मृतक के भाई ने पुलिस से सांठगांठ करके इन सातों लोगों को [illegible] कराया। [illegible] सातों लोगों के विरुद्ध केस श्रीमान पी.सी. गोयल की अदालत में विचाराधीन था। उक्त केस में अभियोजन पक्ष की ओर से केस के समर्थन में 13 गवाह पेश किए। जिसमें एस.आई. व डाक्टर तथा मृतक के भाई सत्यवान को भी अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में प्रस्तुत किया।

परन्तु विद्वान न्यायाधिश श्री पी.सी. गोयल ने उक्त बयान मृतक का ना मानकर उक्त सातों लोगों को निर्दोष घोषित करते हुए ससम्मान बरी कर दिया।

बचाव पक्ष की पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज ने की।

अवैध: प्रशासन के निरंकुश एवं लापरवाह रवैये के कारण यहां शराब पीने-पिलाने का दौर बेरोकटोक चलता है। इसके अतिरिक्त जुआ, सट्टा आदि के लिए भी यह जगह चर्चित हो चुकी है।

आज - आगरा - 30.9.98

हत्या का आरोप सिद्ध होने पर चार लोगों को आजीवन कारावास

मैनपुरी, २९ सितम्बर। हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा [illegible] न्यायाधीश के.एन. सिंह ने सुनायी है अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सुन्दर सिंह यादव अनिल कुमार भारद्वाज [illegible] सिंह [illegible] एडवोकेट ने की [illegible] को लेकर हुई हत्या के [illegible] आरोपी [illegible] में [illegible] उन पर [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] न्यायाधीश ने पत्रावली पर आये। साक्ष्य तथा प्रमाणों को पर्याप्त जानकर चारों हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

एनआईटी हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

जागरण संवाद केंद्र

फरीदाबाद, 15 नवंबर। एनआईटी फरीदाबाद पांच नंबर मार्केट के बहुचर्चित हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.के. गुप्ता ने अपने फैसले में हत्या के कथित सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि गत 22 अप्रैल 98 को न्यू सीलमपुर दिल्ली निवासी सलीम पुत्र मुहम्मद अयूब व अकरम पुत्र मुहम्मद सबालीन अपनी मारूति वैन से फरीदाबाद आये और उन्होंने अपनी मारूति वेन को पांच नंबर मार्केट में स्थित सोनू इम्पोरियम के सामने फुटपाथ क्रास करके दुकान के मुख्य शेटर के साथ लगाकर खड़ा कर दिया, जिस पर सोनू इम्पोरियम के मालिक हरमीत सिंह ने मारुति वैन वहां खड़ी करने से मना किया।

हरमीत सिंह के मना करने पर इन लोगों में व हरमीत सिंह में मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट व हरमीत सिंह के चीखने-चिल्लाने के कारण वहां सोनू इम्पोरियम पर आसपास के काफी दुकानदार की भीड़ हो गई, जिसने उन दोनों को मारपीट कर पकड़ लिया और हरमीत सिंह को बचाया तथा मौके पर आ गई।

पुलिस के हवाले कर पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को लेकर चली गई। बाद में उन दो में से एक मुहम्मद अकरम की मृत्यु हो गई तथा उसी दिन सलीम पुत्र मुहम्मद अयूब ने इस बहुचर्चित हत्याकांड की रिपोर्ट में सोनू इम्पोरियम के मालिक हरमीत सिंह, उसके भाई गुरूमीत सिंह तथा पिता नानकसिंह व मां दलजीत कौर तथा हरनाम सिंह को इस हत्याकांड में नाम लिखवाया।

दोषियों की ओर से इस केस की पैरवी अनिल कुमार भारद्वाज एंड दीपक गेरा द्वारा की गई थी।

ज्ञात हो कि उपरोक्त केस श्री एस.के. गुप्ता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पेश किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संतोषजनक न होने के कारण माननीय न्यायाधीश अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद एस. के. गुप्ता ने सभी दोषीगण को उक्त हत्याकांड के आरोप से ससम्मान बरी कर दिया।

नफे सिंह राठी ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की

संवाद सहयोगी

बहादुरगढ़, 15 नवंबर। क्षेत्र के इनेलो विधायक नफे सिंह राठी ने आज एक विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उन्होंने प्रदेश को अभूतपूर्व बिजली संकट से उबार लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा श्री चौटाला के कुशल नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।

विधायक ने कहा है कि फसल की बीजाई के समय हरियाणा के किसानों को 24 घंटे नियमित बिजली का यह तोहफा किसानों को हमेशा याद रहेगा।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिजली का यह संकट भजनलाल व बंसीलाल के नेतृत्व वाली सरकारों की गलत नीतियों के कारण पैदा हुआ था। विधायक ने दावा किया कि आज समस्त हरियाणा में अमनचैन कायम हो गया है।

हिन्दुस्तान - 10-3-09

कर्मचारी नेता को मिली न्यायालय से राहत

हिन्दुस्तान संवाद, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेशीय अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह चौहान को आखिरकार न्यायालय से राहत मिल गई है। उनकी जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश लियाकत अली ने स्वीकार कर ली है। छह मार्च को चुनाव आयोग के निर्देश पर नगर में राजनैतिक दलों के होर्डिंग्स व बैनर उतारे जा रहे थे। उसी समय पुराना जिला अस्पताल परिसर में लगा राज्य कर्मचारी महासंघ का नववर्ष शुभकामना का होर्डिंग उतारने को लेकर योगेन्द्र सिंह चौहान का प्रशासन से विवाद हो गया था।

इस पर योगेन्द्र सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके विरुद्ध आईपीसी, क्रि.लॉ. एमेण्डमेन्ट एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर दिया गया था और उसी दिन उन्हें रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया था। उनकी जमानत लोअर कोर्ट से खारिज हो गई थी और सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए दाखिल कर दी थी। उधर संघ ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी।

हिन्दुस्तान

जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों से घिरे कर्मचारी नेता योगेन्द्र सिंह

इस पर प्रशासन के तेवर ढीले पड़ गए। सूत्रों की मानें तो प्रशासन चौहान को किसी प्रकार जेल से छुड़वाने का प्रयास करने लगा। यहां तक कि उन पर लगाई गई गैर जमानती अपराध की धाराओं को हटाने को प्रशासन तैयार हो गया था और चौहान को जेल से तलब कर जमानती धाराओं में वारंट बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। इसी बीच दिल्ली से आए अधिवक्ता अनिल भारद्वाज ने अजीत कुमार सिंह के साथ विशेष न्यायाधीश लियाकत अली के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस की और उनकी जमानत स्वीकार हो गई। उन्हें 20-20 हजार रुपए की दो जमानतों व इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।

वीर अर्जुन, दिल्ली
11.3.09

उत्तर प्रदेश

कर्मचारी नेता योगेन्द्र सिंह चौहान जेल से रिहा

आकाश तिवारी

मैनपुरी । आखिरकार राज्य कर्मचारियों/शिक्षक संगठनों की मेहनत रंग लाई! उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह चौहान जेल से रिहा हो गये। योगेन्द्र सिंह चौहान के जेल से रिहा होने पर कर्मचारियों/शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। श्री चौहान के जेल से रिहा होने से पूर्व ही कर्मचारियों/शिक्षकों का जेल परिसर के बाहर हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की तादात में लोग इकठठा होकर कर्मचारियों की शान योगेन्द्र सिंह चौहान, क्षत्रियों की शान योगेन्द्र सिंह चौहान आदि नारे लगाने लगे, गगन भेदी इन नारों से पूरा जेल परिसर गूँज उठा इस दौरान अबीर और गुलाल से जेल परिसर में जमकर होली खेली गई तथा मिठाईयों वितरित हुयी।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहे उ0प्र0राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह चौहान को 6 मार्च को राजनैतिक दबाब के चलते जिला प्रशासन ने उन्हें गिरफतार कर उन्हें धारा 147,148,149,323,353,504,506 आईपीसी धारा 7 क्रिमिनल एमेण्डमेन्ट एक्ट तथा धारा 134 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कारवाई कर उन्हें जेल भेजा दिया था जिससे कर्मचारियों एव शिक्षकों में रोष फैल गया था । श्री चौहान की गिरफतारी से गुस्साये लोगों ने कोतवाली के बाहर जाम लगाकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद एंव मुख्यमंत्री मायावती मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना गुस्सा प्रकट किया भी किया था इसके बाद भी जिला प्रशासन ने कर्मचारी नेता योगेन्द्र सिंह चौहान को रिहा नहीं किया गया। इसके बाद कर्मचारियों/शिक्षक संगठनों के राष्ट्रीय एंव प्रान्तीय पदाधिकारियों के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया था जिससे कर्मचारियों/शिक्षकों के आन्दोलन से जिला प्रशासन के भी हाथ पॉव फूलने लगे थे। 7 मार्च को श्री चौहान की जमानत के लिए चीफ जुडेशियल मजिस्ट्रेट श्री रिजवान उल हक की अदालत में अर्जी दी थी जो कि खारिज कर दी गई थी मगर आज एडिसनल सेशन जज मैनपुरी श्री लियाकत अली ने वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट दिल्ली अनिल भारद्वाज एंव अजित सिंह चौहान द्वारा दी गई उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुये उन्हें जमानत दे दी।

लाठीचार्ज, सात घायल

प्रारंभ करके भाषण देना शुरू किया तो एसपी सिटी दिलीप श्रीवास्तव ने के.एल. अरोडा से माइक छीनने का

जागरण

...वा अफरोज हुई फतेहगढ़ की सेन्ट्रल जेल

उपदेश खलीफा के पहुंचते ही चौकसी बढ़ी, चौदह दिन के रिमांड पर जेल में रहेंगे

पुलिस सुरक्षा में न्यायालय जाते हुए उपदेश सिंह चौहान। जागरण

दाखिल होने के बाद पुलिस ने अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य किसी को अंदर नहीं जाने दिया। करीब पौने तीन बजे न्यायालय की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद उपदेश सिंह चौहान को पुलिस ने घेरे में लेकर अपनी जीप में बैठाया तथा सेंट्रल जेल ले जाया गया। उपदेश सिंह चौहान अपनी दवाइयों का झोला साथ लेकर गये थे। पुलिस ने गेट के बाहर उनके किसी समर्थक को बात करने का समय नहीं दिया। 65 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उपदेश सिंह चौहान को तीसरी बार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविप्रकाश को गोली मारने वाले एक शूटर जनपद मैनपुरी एवं एक फर्रुखाबाद जनपद का ही बताया जा रहा है।

न्यायालय में रिमाण्ड के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र मिश्रा ने जिला जेल अधीक्षक द्वारा लिखा गया पत्र पेश किया। कारागार अधीक्षक ने पत्र में कहा है कि पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा को जिला कारागार में रखने से जेल प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा । सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए पूर्व विधायक को केन्द्रीय कारागार भेज दिया जाय। वर्तमान में जिला कारागार में 631 बंदी की क्षमता के विपरीत एक हजार दो सौ बंदी निरुद्ध हैं। कारागार अधीक्षक के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारी को पैरवी के लिये निर्देश दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिगत पूर्व विधायक को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया। अदालत में प्रस्तुत जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। जमानत याचिका में कहा गया है कि उसका षड़यंत्र में कोई साक्ष्य नहीं है। राजनैतिक विद्वेष के कारण झूठा फंसाया गया है। षड़यंत्र का कोई-भी गवाह नहीं है और जमानत पर छूटने पर गवाहों को तोड़ने का अंदेशा नहीं है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार सिंह राठौर ने जमानत याचिका पर पैरवी की। श्री सिंह ने उपदेश के खिलाफ छिबरामऊ में बीस वर्ष पूर्व दर्ज मारपीट के मुकदमे में भी इसी अदालत में पैरवी की थी। पूर्व विधायक को पेश करने के दौरान तीन इंस्पेक्टर व चार उपनिरीक्षक के अतिरिक्त आधा दर्जन सिपाही सुरक्षा व्यवस्था में लगाये गये जो केन्द्रीय कारागार तक छोड़कर आये।

उपदेश सिंह चौहान का बीती रात लगभग 12 बजे लोहिया अस्पताल में चिकित्सालय परीक्षण कराया गया। कायमगंज कोतवाली का सिपाही उदयपाल उन्हें लेकर अस्पताल आये। खलीफा के शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं पाये गये।

पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान के साथ कल लखनऊ से लाये गये सर्वेन्द्र सिंह राठौर पुत्र मानसिंह राठौर निवासी ग्राम जमुनापुर तथा ओमपाल सिंह पुत्र तुकमान सिंह निवासी जीटी रोड बेवर को पूछतांछ के बाद पुलिस ने घर जाने की इजाजत दे दी। दोनों युवकों को पुनः बुलाने पर तुरंत पुलिस के सामने आने की हिदायत दी गयी है।

पलक झपकते

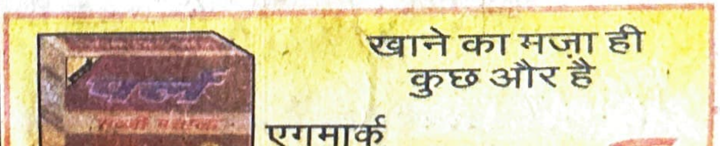

हिन्दुस्तान - 10-3-09

कर्मचारी नेता को मिली न्यायालय से राहत

हिन्दुस्तान संवाद, मैनपुरी

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेशीय अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह चौहान को आखिरकार न्यायालय से राहत मिल गई है। उनकी जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश लियाकत अली ने स्वीकार कर ली है। छह मार्च को चुनाव आयोग के निर्देश पर नगर में राजनैतिक दलों के होर्डिंग्स व बैनर उतारे जा रहे थे। उसी समय पुराना जिला अस्पताल परिसर में लगा राज्य कर्मचारी महासंघ का नववर्ष शुभकामना का होर्डिंग उतारने को लेकर योगेन्द्र सिंह चौहान का प्रशासन से विवाद हो गया था।

इस पर योगेन्द्र सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके विरुद्ध आईपीसी, क्रि.लॉ. एमेण्डमेन्ट एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर दिया गया था और उसी दिन उन्हें रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर-के जेल भेज दिया था। उनकी जमानत लोअर कोर्ट से खारिज हो गई थी और सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए दाखिल कर दी थी। उधर संघ ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी।

हिन्दुस्तान

जेल से रिहा होने के बाद समर्थकों से घिरे कर्मचारी नेता योगेन्द्र सिंह

इस पर प्रशासन के तेवर ढीले पड़ गए। सूत्रों की मानें तो प्रशासन चौहान को किसी प्रकार जेल से छुड़वाने का प्रयास करने लगा। यहां तक कि उन पर लगाई गई गैर जमानती अपराध की धाराओं को हटाने को प्रशासन तैयार हो गया था और चौहान को जेल से तलब कर जमानती धाराओं में वारंट बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। इसी बीच दिल्ली से आए अधिवक्ता अनिल भारद्वाज ने अजीत कुमार सिंह के साथ विशेष न्यायाधीश लियाकत अली के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस की और उनकी जमानत स्वीकार हो गई। उन्हें 20-20 हजार रुपए की दो जमानतों व इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।